

दिसंबर 2022



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित



ई-गवर्नेंस



PERFECTION
IAS

परिश्रम TEST SERIES

FOR BPSK 67 MAINS

SCHEDULE

Date	Day	Test	Paper
15 Oct. 2022	Saturday	Test 1 (Sectional Test)	GS-I
22 Oct. 2022	Saturday	Test 2 (Sectional Test)	GS-II
05. Nov. 2022	Saturday	Test 3 (Sectional Test)	GS-I
13 Nov. 2022	Sunday	Test 4 (Sectional Test)	GS-II
19 Nov. 2022	Saturday	Test 5 (Sectional Test)	GS-I
20 Nov. 2022	Sunday	Test 6 (Sectional Test)	GS-II
26 Nov. 2022	Saturday	Test 7 (Sectional Test)	GS-I
27 Nov. 2022	Sunday	Test 8 (Sectional Test)	GS-II
03 Dec. 2022	Saturday	Test 9 (Full Length Test)	GS-I
04 Dec. 2022	Sunday	Test 10 (Full Length Test)	GS-II
10 Dec. 2022	Saturday	Test 11 (Full Length Test)	GS-I
17 Dec. 2022	Saturday	Test 12 (Full Length Test)	GS-II

Note:

- **Test Series will be Bilingual.**
- Model Answers will be provided.
- Copy Evaluation will take maximum 15 days.
- Dates are subject to change.
- 50 Days Planner is free for all students.

Patna Office

103, Kumar Tower, Boring Road,
Crossing, Patna, Bihar

Delhi Centre

1st floor 1(B), Metro Tower, Gate No.8, Karol
Bagh Metro Station, Pusa Road, New Delhi

Muzaffarpur Centre

Shakuntala Complex, Kolwari Compound,
Chakar Chowk, Muzaffarpur, Bihar

☎ 9155087930, 8340325079, 8271411177 🌐 www.perfectionias.com ✉ perfectionias@gmail.com



कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 69 ★ मासिक अंक : 02 ★ पृष्ठ : 52 ★ मार्गशीर्ष-पौष 1944 ★ दिसंबर 2022

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

f @publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग-इन करें।

वार्षिक : ₹ 230 , द्विवार्षिक : ₹ 430 , त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,

सूचना भवन, सीजीओ परिसर,

लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

नोट: सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

सुशासन के लिए ई-गवर्नेंस

5

-बालेन्दु शर्मा दाधीच



डाकघर सेवाएं आपके द्वार

12

-अमन शर्मा



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ई-गवर्नेंस की भूमिका

18

-जय प्रकाश पाण्डेय

डिजिटल अंतर को पाटना जरूरी

28

-अविनाश मिश्रा, मधुबंती दत्ता



ई-गवर्नेंस से साकार होगा स्मार्ट विलेज का स्वप्न

34

-डा. हरवीन कौर

ई-गवर्नेंस से एक नए युग की शुरुआत

41

-विजन कुमार पाण्डेय



ई-माध्यमों से सुगम हुआ लाभ हस्तांतरण

46

-प्रभात किशोर, अरुण कुमार

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैच्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

दिसंबर 2022

ई—गवर्नेस सुशासन का महत्वपूर्ण घटक है। भारत में ई—गवर्नेस के माध्यम से सुशासन लाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हालांकि उनमें अप्रत्याशित तेजी तथा सफलता कोविड महामारी के बाद ही देखने को मिली। ऑनलाइन की मजबूरी ने कई नवाचार और स्टार्टअप्स के आगे बढ़ने के लिए माहौल पैदा किया जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **डिजिटल भारत, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत** के आह्वान को नया आगाज़ मिला। आज भारत विश्व मंच पर **नए आत्मनिर्भर भारत** के रूप में खड़ा है और निसंदेह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न से ही भारत इस मुकाम पर पहुँचा है।

भारत सरकार के पिछले कुछ साल 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' अर्थात 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' पर आधारित रहे हैं। लाभ के अंतिम छोर तक सुपुर्दगी में सुधार लाने और देशभर में विकास के नतीजों को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक नीतियों और पहलों को लागू किया गया है। नीतियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वालों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पीएम जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाया गया, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सीधे उनके खाते में प्राप्त होने लगा है जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिली है। पीएम किसान जैसी पहल से देशभर में करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये डीबीटी के तहत सीधे खाते में प्राप्त हो रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों के लिए आज ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और ई—नाम पहल के ज़रिए किसानों को अपनी फसल के उचित दाम दिलाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए गए हैं।

भारत आज दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान का साक्षी है। दुनिया में पहली बार पूरे टीकाकरण अभियान को डिजिटल किया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखते हुए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कवरेज योजना—**आयुष्मान भारत योजना** शुरू की, जिससे करोड़ों नागरिकों को लाभ पहुँच रहा है। ई—संजीवनी, ई—अस्पताल, टेलीमेडिसीन जैसी तकनीक आधारित सरकारी सुविधाओं से आज देश के दूरदराज के भागों में रहने वाले नागरिकों तक भी स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधायें ऑनलाइन देना संभव हो पाया है।

डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कर दाखिल करने, बीमा दावों और सरकारी कागज़ी कार्रवाई जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाया गया है। माईगव (MyGov) माईगव नागरिकों को सरकार से जोड़ने वाला मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। जुलाई 2022 में 'मेरी पहचान' नामक राष्ट्रीय एकल साइन ऑन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुँच प्रदान की जा सके। इसी तरह नागरिकों को पात्रता आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'माईस्क्रीम' मंच आरंभ किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक दस्तावेजों की कागज रहित उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रहा है। वहीं 'दीक्षा' एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है जो छात्र और शिक्षकों को, देश के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक साझा मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है।

यूआईडीएआई द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और हाल की पहलों को साझा करने से सुशासन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। **आधार** के लाभों से न केवल राज्य की मौद्रिक बचत हुई है, बल्कि ज़िम्मेदार व्यवहार, पारदर्शिता और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का देश के अंतिम व्यक्ति तक तेजी से वितरण को भी बढ़ावा मिला है। **आधार** देश के सबसे बड़े नवोन्मेष में से एक सिद्ध हुआ है। भारत में लगभग सभी वयस्कों को **आधार** मिल चुका है। कुल आबादी का लगभग 94 प्रतिशत इसके दायरे में आ गया है। यूआईडीएआई विभिन्न सत्यापनों के ज़रिये एक दिन में सात करोड़ से अधिक बार नागरिकों के उपयोग में आता है। आधार भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का मूल आधार बन गया है जिसने डिजिटल विभाजन को पाट दिया है, ई—केवाईसी सेवाओं को सक्षम किया है, मोबाइल के माध्यम से दरवाज़े पर बैंकिंग सेवा प्रदान की है और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ज़रूरतमंद और योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद अंतरण की सुविधा प्रदान की है। इस दिशा में की गई नई पहलें लागू हो जाने के बाद इसके ऑफलाइन सत्यापन का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा आधार के ऐच्छिक उपयोग के ज़रिए नागरिकों को अपनी इच्छा से सेवायें लेने की स्वतंत्रता हो जाएगी।

संक्षेप में, ई—गवर्नेस ही सुशासन का भविष्य है और यह भारत का रूपांतरण एक पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सशक्त देश में करने संबंधी माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है। सरकार भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त देश के रूप में रूपांतरित करने की दिशा में काम कर रही है और ग्रामीण भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जन सेवा केंद्र (सीएससी) इस दिशा में काफी सराहनीय काम कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य से काफी दूर हैं। डिजिटल साक्षरता के अलावा मूलभूत साइबर सुरक्षा अवधारणाओं में कौशल निर्माण की मांग भी कई गुना बढ़ गई है, जिस दिशा में तेजी से कार्य करने की ज़रूरत है।

डिजिटल इंडिया

भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज एक वैश्विक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि भारत पहले भी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र की बड़ी विश्व शक्ति माना जाता रहा है लेकिन डिजिटल इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छितराई हुई सेवाओं और ढाँचे को सुसंगठित, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में योगदान दिया है। यह प्रक्रिया जारी है किंतु डिजिटल इंडिया की बदौलत जैसा तकनीकी रूपांतरण देश में देखने को मिल रहा है, उसमें सरकार और निजी क्षेत्र की बहुत सारी सेवाएं डिजिटल माध्यमों से आम आदमी की पहुँच में आ गई हैं। इसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी मौजूदा कामयाबियों तथा मजबूतियों को सुरक्षित करने का अनुशासन दिया है और दूसरी तरफ, नए एवं अछूते क्षेत्रों में कदम बढ़ाने की महत्वाकांक्षा पैदा की है। भारत की अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान पहले भी महत्वपूर्ण था जो आज और भी अधिक बढ़ गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना क्रांति अब आम आदमी को सशक्त बनाने की स्थिति में आ गई है।

किसी भी बड़ी प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी ताकत का आकलन इसी बात से होना चाहिए कि वह सामान्य नागरिक को कितना लाभान्वित कर रही है। यदि उसके लाभ समाज के एक वर्ग तक ही सीमित रहेंगे तो उससे देश की आर्थिक-सामाजिक सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल इंडिया अभियान उस लिहाज से एक दूरदर्शितापूर्ण तथा सामयिक नज़रिए को अभिव्यक्त करता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक सांस्कृतिक कायाकल्प भी दिखाई दिया है जब विकास प्रक्रिया के सबसे अंतिम छोर पर खड़ा इंसान भी किसी न किसी रूप में डिजिटल क्रांति से लाभान्वित हुआ है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर

नेटवर्क जैसी सरकारी पहल से लेकर रिलायंस जियो जैसे निजी उपक्रमों ने इसे आम आदमी तक पहुँचाने में अच्छी भूमिका निभाई है। डिजिटल इंडिया को तो भारत के इतिहास की सबसे सफल तकनीकी पहलों में गिना जा सकता है जिसकी कामयाबी में जैम (जन धन बैंक खाते, आधार विशिष्ट पहचान और मोबाइल फोन) ने बुनियादी भूमिका निभाई है। अक्टूबर 2022 में हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने 7.3 अरब मासिक डिजिटल वित्तीय लेनदेन की संख्या को छू लिया था जिनके ज़रिए 12 लाख 11 हजार 582 करोड़ से भी अधिक के मासिक लेनदेन हुए। इस योजना से जुड़े बैंकों की संख्या से लेकर लेनदेन की संख्या और धन के आदान-प्रदान की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके ज़रिए एक हजार अरब डॉलर (1 ट्रिलियन डॉलर) का लेनदेन होने की उम्मीद है।

जिस तरह से आम आदमी पेटीएम, फोन पे, रेजर पे और ऐसे ही दर्जनों दूसरे एप्स के ज़रिए सुगमता से पैसे का लेनदेन कर रहा है, जिस तरह से नेटबैंकिंग की सेवाएं आम हो गई हैं, जिस तरह से लोगों की पहचान को प्रमाणित करने में 'आधार' ने अद्वितीय योगदान दिया है वैसा ज़्यादातर पश्चिमी देशों में भी दिखाई नहीं देता। आम आदमी हमारे आईटी ढाँचे के केंद्र में आ रहा है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और जब देश में तकनीकी मानस की प्रधानता होगी तब देश में कैसा डिजिटल कायाकल्प हो चुका होगा, उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

विकास के नौ स्तंभ और ई-गवर्नेंस

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों को साथ लाते हुए प्रौद्योगिकी समर्थित विकास का व्यापक लक्ष्य पूरा करने के लिए की गई है। इसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और केंद्रीय समन्वयक

डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सबके बीच समन्वय की भूमिका निभा रहा है। इसके तहत विकास के नौ स्तंभों को चिह्नित किया गया है जिन पर सरकार का विशेष जोर है। ये हैं—

- ब्रॉडबैंड हाइवेज
- सबके लिए मोबाइल कनेक्टिविटी तक पहुँच
- सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच
- ई-गवर्नेंस या ई-प्रशासन जिसके तहत प्रौद्योगिकी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम चलाए जाने हैं
- ई-क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
- सभी के लिए सूचना
- इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण
- रोज़गार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, और
- नई पौध (अर्ली हार्वेस्ट) के कार्यक्रम, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जो आगे जाकर बड़ा रूप लेंगे।

इनमें से चौथा स्तंभ ई-गवर्नेंस या ई-प्रशासन का है और पाँचवें स्तंभ, यानी कि ई-क्रांति के तहत सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की और छठे स्तंभ में 'सभी के लिए सूचना' की बात कही गई है जो ई-गवर्नेंस के विज़न को और भी व्यापक बनाती है। भारत में सार्वजनिक सेवाएं देने की प्रक्रिया को बेहतर तथा सरल बनाने के प्रयास लंबे समय से चले आए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1990 के समय से ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रेलवे के कंप्यूटरीकरण तथा भूमि रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकरण जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं लेकिन इनका दायरा सूचनाएं देने तक सीमित रहा है। बाद में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के स्तर पर ऐसे अनेक कार्यक्रम शुरू हुए जिनके तहत सूचनाएं ही नहीं बल्कि सेवाएं उपलब्ध कराई जाने लगीं। इन्होंने भारत में ई-गवर्नेंस की नींव रखने में योगदान दिया। लेकिन फिर भी ज़्यादातर परियोजनाएँ और कार्यक्रम विभागों, मंत्रालयों, संस्थानों या राज्य सरकारों के स्तर पर स्वतंत्र रूप से चलाए जा रहे थे। न तो ऐसे कार्यक्रमों के बीच में आपस में तालमेल था और न ही उन्हें संचालित करने वालों का एक-दूसरे के साथ कोई सुव्यवस्थित संपर्क या संबंध या समन्वय था। उस लिहाज से डिजिटल इंडिया एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में सामने आया है जिसने एक समेकित तथा व्यापक कार्यक्रम के रूप में भारत के डिजिटल लक्ष्यों को समग्रता प्रदान की है। साथ ही, एक ऐसा महत्वाकांक्षी पारिस्थितिकी तंत्र (ईको-सिस्टम) तथा आधारभूत ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार कर दिया है जो देश के मूल प्रशासनिक, सरकारी तथा आर्थिक ढाँचे के साथ हिल-मिलकर काम कर रहा है। तकनीक पर आधारित यह ढाँचा और व्यापक सरकारी तंत्र एक-दूसरे के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं।

डिजिटल इंडिया में ई-गवर्नेंस को इतनी अहमियत दिया जाना केंद्र सरकार के इस संकल्प का संकेत है कि वह न केवल जनता तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम का

उपयोग करे बल्कि सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं की कार्यप्रणाली में भी कुछ बुनियादी बदलावों को अंजाम दे। देश में ई-गवर्नेंस का परिणामोन्मुखी, टिकाऊ और दीर्घकालिक तंत्र स्थापित करने के लिए इस तरह के संरचनात्मक सुधार और बदलाव आवश्यक हैं। सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों में सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कामकाज में तकनीक के प्रयोग को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि उनकी सेवाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सके।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक, 'ई-क्रांति' को सही ढंग से लागू करने के लिए अलग से एक योजना मौजूद है जिसका नाम है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)। हालाँकि यह योजना डिजिटल इंडिया के आने से पहले भी मौजूद थी लेकिन डिजिटल इंडिया अभियान के बाद इसे ज़्यादा व्यवस्थित, प्रभावी और व्यापक रूप दिया गया है। इसका फोकस राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने पर है और उद्देश्य है— सभी सरकारी सेवाओं को आम भारतीय नागरिक को उसके अपने इलाके में उपलब्ध कराना और यह भी तय करना कि ये सेवाएं वहन करने योग्य कीमत पर पूरी क्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध हों। एनईजीपी ने यह सुनिश्चित किया कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित योजनाएं और पहल एक सुपरिभाषित

दिशा में आगे बढ़ें और एक समान दृष्टिकोण और रणनीति का पालन करें।

ई-क्रांति का विज़न है- 'सरकार के रूपांतरण के लिए ई-गवर्नेंस का रूपांतरण।' देश में सुशासन (गुड गवर्नेंस) और मोबाइल गवर्नेंस सरकार की वरीयता है और इस सिलसिले में ई-क्रांति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-क्रांति के निम्न प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए थे-

- सरकारी सेवाओं का रूपांतरण हो, न कि उन्हें नए रूप में पेश कर दिया जाना (ट्रांसलेशन)।
- सेवाएं अलग-अलग न उपलब्ध हों बल्कि एकीकृत रूप से दी जाएं।
- सरकारी प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग हो, यानी कि उन्हें आधुनिक समय की ज़रूरतों के लिहाज से नए सिरे से तैयार किया जाए।
- सरकारी विभागों को आवश्यकतानुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ढाँचा उपलब्ध कराया जाए (कनेक्टिविटी, क्लाउड, मोबाइल प्लेटफॉर्म आदि)।
- क्लाउड बाइ डिफॉल्ट, यानी कि अपने लचीलेपन, गति और कम कीमत के कारण क्लाउड को प्रधानता दी जाए। इंटरनेट पर मौजूद तकनीकी ढाँचे और सेवाओं का प्रयोग प्रधानता के साथ किया जाए।
- 'मोबाइल फर्स्ट' यानी सेवाएं देने के सभी माध्यमों को इस तरह से डिज़ाइन या रिडिज़ाइन किया जाए कि वे मोबाइल

फोन के जरिए सेवाओं की डिलीवरी कर सकें।

- मिशन मोड परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी देने का तंत्र विकसित हो।
- ई-गवर्नेंस की परियोजनाएँ लागू करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से निर्धारित मानकों (स्टैंडर्ड्स) का पालन किया जाए। ऐसा नहीं कि जिसने चाहा, जैसे चाहा, अपना ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बना लिया और सेवा देना शुरू कर दिया।
- ई-गवर्नेंस से जुड़ी सभी सूचनाएं और सेवाएं अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हों।

इन सिद्धांतों के आने से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आने वाली योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, पहलों आदि को एक सार्थक, सुपरिभाषित, समानतापूर्ण, उद्देश्यपूर्ण तथा परिणामोन्मुखी दायरे में रखना संभव हो गया है। नतीजतन, आज यह कहा जा सकता है कि ई-प्रशासन (ई-गवर्नेंस) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने और प्रबंधित करने का एक तंत्र है और एक स्मार्ट (सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी) सरकार सुनिश्चित करने में मदद करता है।

ई-गवर्नेंस से सुशासन की ओर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' (न्यूनतम सरकार, अधिकतम कार्य) की दिशा में ले जाना चाहते हैं। देश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद ई-गवर्नेंस तंत्र की स्थापना उस लिहाज से एक कालजयी कदम है। अब तक का अनुभव बताता है कि समूचे सरकारी तंत्र को एक तकनीकी ईको-सिस्टम के तहत लाने और सरकार तथा नागरिक के बीच की दूरी समाप्त करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका प्रशंसनीय है। किंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। न सिर्फ सरकारी तंत्र की भीतरी दूरियाँ सिमट रही हैं; साथ ही, सरकार और नागरिक के बीच की दूरियाँ भी सिकुड़ रही हैं बल्कि सरकार और उद्योग के बीच भी दूरियाँ पाटने में मदद मिल रही हैं। संक्षेप में कहें तो ई-गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का अनिवार्य घटक है।

भारतीयों के लिहाज से गुड गवर्नेंस का व्यापक अर्थ 'सुशासन' है। अधिकांश भारतीय काफी हद तक इसे रामराज्य की परिकल्पना से जोड़कर देखते हैं। ऐसी सरकार जिसके सभी संगठन नागरिकों के भले के एकमात्र उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हों। दूसरी ओर 'गुड गवर्नेंस' शब्द वैश्विक स्तर पर प्रचलित है। इसे लोकतंत्र, नागरिक समाज, जन-भागीदारी, मानवाधिकारों, सामाजिक विकास और स्थायित्व (सस्टेनिबिलिटी) के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह अपने आप में अकेले चलने वाली अवधारणा नहीं है बल्कि आर्थिक सुधारों और लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखी जाने वाली अवधारणा है जो स्पष्ट करती है कि यह सिर्फ प्रक्रियात्मक तथा सोच के बदलावों तक सीमित नहीं है बल्कि देशों के आर्थिक



विकास के साथ भी सीधा संबंध रखती है और सामाजिक विकास से भी। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का एक उद्धरण महत्वपूर्ण है—“प्रयोग में, गुड गवर्नेंस का मतलब है मानवाधिकारों तथा कानून के शासन के प्रति सम्मान, लोकतंत्र की मज़बूती और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता तथा क्षमता विकास”।

गुड गवर्नेंस के उद्देश्यों की ही तरह, ई-गवर्नेंस के अनगिनत लाभों में से एक यह है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपलब्ध हों। ई-गवर्नेंस की समावेशी, दोतरफा-संवादात्मक प्रणालियाँ लोगों को अपनी शिकायतों और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की भी सुविधा देती है। आज माईगव (MyGov) जैसे सरकारी पोर्टलों पर देश भर से बड़े पैमाने पर लोगों के हज़ारों संदेश मिल रहे हैं। इन संदेशों को अधिकारियों द्वारा देखा जाता है और फिर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। नागरिकों को सरकार तक पहुँचने का एक शानदार ज़रिया मिल गया है। गुड गवर्नेंस में नागरिकों द्वारा राजनैतिक प्रक्रियाओं में स्वतंत्र तथा खुली भागीदारी की जाती है। ई-गवर्नेंस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी योगदान देता है क्योंकि सेवाओं को वितरित करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता। यह लालफीताशाही और अफसरशाही को कम करने और दक्षता में सुधार करने में भी मदद करता है। ई-गवर्नेंस न केवल सरकारी सेवाओं तक काफी हद तक सुविधाजनक और ऑन-डिमांड पहुँच बनाती है बल्कि इस तंत्र के दोनों ओर (प्रदाता तथा प्राप्तकर्ता के स्तर पर) मूल्यवान वित्तीय संसाधनों को भी बचाती है। ग्रामीण आबादी के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि वहाँ अक्सर लोगों को सरकारी दस्तावेज़ जमा करने, प्राप्त करने या आवश्यक सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रायः लंबी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ती हैं।

दिखने लगे हैं नतीजे

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के समय सरकार की जो परिकल्पना थी, उस पर आज आप एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि हम पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस लेख की शुरुआत में मैंने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) की कामयाबी का ज़िक्र किया जो इसी तरफ संकेत करता है। सन् 2015 में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में सुधार के लिए निम्न मार्गदर्शक सिद्धांतों का ज़िक्र किया गया था और इन्हें पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे कि आज इन क्षेत्रों में काफी काम हो चुका है या हो रहा है:

फॉर्म सरलीकरण— सरकारी कार्यालयों में दाखिल किए जाने वाले फॉर्मों को सरल बनाया जाना चाहिए और केवल न्यूनतम तथा आवश्यक जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। आज न केवल डिजिटल माध्यमों से फॉर्म लिए जाने लगे हैं बल्कि इस प्रक्रिया में उनका काफी सरलीकरण भी हुआ है।

ई-ताल



ई-ताल मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के ई-लेनदेन आंकड़ों के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल है। यह लगभग वास्तविक समय के आधार पर समय-समय पर वेब आधारित अनुप्रयोगों से लेन-देन के आँकड़े प्राप्त करता है। etaal विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं द्वारा किए गए लेन-देन का त्वरित दृश्य देने के लिए सारणीबद्ध और ग्राफिकल रूप में लेन-देन की गणना का त्वरित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग— विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाने चाहिए और उन पर कहाँ तक अमल हुआ है, इसे ट्रैक करने की सुविधा होनी चाहिए। आज काफी हद तक ये सेवाएं साकार हो चुकी हैं।

ऑनलाइन भंडार—प्रमाणपत्र, शैक्षिक डिग्री, पहचान दस्तावेज़ आदि सामग्री को ऑनलाइन सहेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को आवश्यकतानुसार इन दस्तावेज़ों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो। डिजिलॉकर, एम-परिवहन और ऐसे ही कई अन्य एप्लीकेशन तथा ऑनलाइन सुविधाओं से आप अब तक परिचित हो ही चुके होंगे।

सेवाओं और प्लेटफॉर्मों का एकीकरण— भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), पेमेंट गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मिडलवेयर (जैसे नेशनल और स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे) के माध्यम से डेटा साझा करना, नागरिकों और व्यवसायों को सेवाओं की एकीकृत सुविधा प्रदान करना आदि अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिस तरह से चुटकियों में आज अनेक सरकारी सेवाएं तथा दूरसंचार सेवाएं आदि मिलने लगी हैं, आयकर सेवाओं आदि के साथ आधार, बैंक खातों तथा पैन कार्ड आदि का तालमेल हो चुका है, उससे स्पष्ट है कि हम अच्छी रफ्तार से क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़े हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूपों में जानकारी—सभी डेटाबेस और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए न कि मैनुअल। लगातार समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस डेटा के स्वचालित ढंग से संग्रहण, विश्लेषण और आवश्यकतानुसार कार्रवाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दिशा में नीति आयोग और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं, न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र को साथ लेकर भी काम किया जा रहा है।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की सफलता का परिणाम बेहतर सरकार या सुशासन में दिखाई दे रहा है, जो इसका वास्तविक

लक्ष्य भी है। प्रसंगवश, विश्व बैंक ने ई-गवर्नेंस को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है: "ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग) का उपयोग किया जाना है जो नागरिकों, व्यवसायों और शासन के अन्य घटकों के साथ संबंधों को बदलने की क्षमता रखती है। ये प्रौद्योगिकियां कई प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, व्यापार और उद्योग के साथ बेहतर संपर्क, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण तथा अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन। परिणामस्वरूप कई प्रकार के लाभ सामने आते हैं, जैसे भ्रष्टाचार में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, बेहतर सुविधा, राजस्व में वृद्धि और लागत में कटौती।

कुछ सफल परियोजनाएँ

भारत में सफल हुई ई-गवर्नेंस योजनाओं, पहलों, कार्यक्रमों, एप्लीकेशनों आदि की सूची बहुत लंबी और विविधतापूर्ण है। वह निरंतर बढ़ भी रही है। ई-गवर्नेंस ने ऐसे क्षेत्रों को भी आसान पहुँच के दायरे में ला दिया है जो अन्यथा मुश्किल प्रतीत होते हैं—जैसे दिव्यांग जनों के साथ सीधा संपर्क। डिजिटल माध्यमों से ऐसा करना जितना आसान है उसकी तुलना में भौतिक माध्यमों से या प्रत्यक्ष रूप में समाज के इस वर्ग तक पहुँच पाना अपेक्षाकृत मुश्किल है। सुगम्य भारत अभियान को ही देखिए जिसके तहत सरकार देश में दिव्यांगों के लिए अधिक अनुकूल ढाँचा तैयार

करना चाहती है और उन्हें बेहतर सेवाएं देना चाहती है। डिजिटल माध्यमों से सभी अंशधारकों, नागरिकों तथा लाभार्थियों तक पहुँचना आसान है। इस आंशिक सूची पर नज़र डालिए जो ई-गवर्नेंस की व्यापकता को अभिव्यक्त करती है।


- सुगम्य भारत अभियान
- एग्रीमार्केट ऐप
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ परियोजना
- भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)
- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स योजना
- फसल बीमा मोबाइल ऐप
- डिजिटल एम्स परियोजना
- ई-ग्रंथालय
- ई-ब्रिज (सरकार से कारोबार) ऑनलाइन पोर्टल
- ई-पंचायत अभियान
- ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना
- ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन
- ई-पाठशाला पोर्टल तथा मोबाइल ऐप
- ई-ऑफिस प्रणालियाँ
- ईपीएफओ वेब पोर्टल (भविष्य निधि पोर्टल)
- गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन)
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल
- हिम्मत ऐप (महिलाओं के लिए एमरजेंसी ऐप)
- फार्मर पोर्टल (किसानों के लिए)
- फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग सिस्टम (एफएमएस वेबसाइट) आदि।

यह सूची सिर्फ सांकेतिक है जिसका उद्देश्य सिर्फ यह संकेत देना है कि ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ किस तरह से समाज, सरकार, कारोबार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिणाम दिखा रही हैं। वास्तविक सूची में तो सैकड़ों योजनाएं, अभियान, एप्स आदि आ जाएंगे।

मोबाइल गवर्नेंस

इस लेख में ऊपर डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक ई-क्रांति का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि उसके सिद्धांतों के तहत केंद्र सरकार ने 'मोबाइल फर्स्ट' को अहम स्थान दिया है। भारत सरकार की ई-गवर्नेंस योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक 'एम-गवर्नेंस' है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने सन 2015 में मज़ाक में कहा था कि एम गवर्नेंस का मतलब 'मोदी गवर्नेंस' नहीं है बल्कि 'मोबाइल गवर्नेंस' है।

देश भर में स्मार्टफोनों की बढ़ती लोकप्रियता और मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी की आसान पहुँच के कारण मोबाइल गवर्नेंस के लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। उम्मीद के अनुसार, एम-गवर्नेंस ने शासन के दो हितधारकों के बीच की दूरी को कम करने में तेजी से प्रभावी और विवेकपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है और ये हैं—सरकार और लोग। एम-गवर्नेंस, जो ई-गवर्नेंस का एक भाग,



उमंग ऐप

उमंग ऐप (UMANG - Unified Mobile Application for New-age Governance) भारत सरकार का एक नि:शुल्क मोबाइल ऐप है। ये एक बहुद्देशीय ऐप है जिसके ज़रिए यूज़र्स कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ एक क्लिक पर उठा सकते हैं। भारत में मोबाइल गवर्नेंस की दृष्टि से ये ऐप सर्वोत्तम है। उमंग ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए एकल मंच प्रदान किया गया है। यहां डिजिटल पेमेंट से लेकर कई तरह की योजनाओं जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड सर्विस, ईपीएफओ 'जीवन प्रमाण' सहित कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।



UMANG ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविज़न द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भारत के नागरिक विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के संचालन से देश के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिससे कि समय और पैसे दोनों की बचत के साथ-साथ प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

घटक या सबसेट है, देश में हर दरवाज़े तक पहुंचने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। फिनटेक की प्रभावशाली सफलता इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट की अद्भुत शक्ति के सहयोग से मोबाइल फोन उपकरण हमारे ई-गवर्नेंस के सपनों को साकार करने में शक्तिशाली और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं।

सरल शब्दों में कहा जाए तो मोबाइल गवर्नेंस का मतलब है मोबाइल उपकरणों, विशेष रूप से स्मार्टफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ई-गवर्नेंस। इंटरनेट से जुड़ा मोबाइल उपकरण सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पेश आने वाली कुछ सबसे पेचीदा चुनौतियों और समस्याओं का जवाब है। भारत एम-गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा पात्र है क्योंकि देश में एक तरफ राष्ट्रव्यापी मोबाइल-इको सिस्टम की असाधारण वृद्धि और दूसरी तरफ, ई-गवर्नेंस तंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ हैं। देश भर में पीसी की पहुँच अभी काफी कम है चूँकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सीमित है जबकि दूसरी तरफ, हमारे भौतिक बुनियादी ढाँचे की सीमाएं (निरंतर बिजली आपूर्ति सहित) हैं और हमारी बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए सरकारी सेवाओं को पाने हेतु भौतिक रूप से पहुँचना एक दुष्कर कार्य है। इंटरनेट से जुड़े पीसी और कियोस्क के विकल्प के रूप में मोबाइल उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और इसमें अभी काफी विस्तार की संभावनाएं हैं।

आज देश की अधिकांश आबादी सरलता से अपने मोबाइल फोन के ज़रिए वित्तीय तथा अन्य सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है। आरोग्य सेतु, डिजिलॉकर, ई-पाठशाला, एमआधार, एम परिवहन, पासपोर्ट सेवा, माइ गव और पीएमओ इंडिया जैसे मोबाइल एप्लीकेशनों ने एम-गवर्नेंस की उपयोगिता को सिद्ध किया है। अब 'उमंग' के रूप में ऐसी पहल की गई है जो केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर दी जा रही अनगिनत सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप के ज़रिए प्रदान करने का मंच है।

संक्षेप में, डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते भारत के कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में आप डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस के दायरे को निरंतर व्यापक तथा प्रभावी होते हुए देखेंगे।

सरकार द्वारा मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ प्रमुख सेवाएं और ऐप

- आरोग्य सेतु ऐप
- डिजिलॉकर ऐप
- ई पाठशाला ऐप
- जीएसटी रेट फाइंडर ऐप
- एम आधार ऐप
- मदद ऐप
- एम परिवहन ऐप
- एम पासपोर्ट सेवा ऐप
- माइगव ऐप
- पीएमओ इंडिया ऐप

डाकघर सेवाएं आपके द्वार

— अमन शर्मा

भारतीय डाक केंद्र सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान है जो देश के हर कोने में मौजूद है। नेटवर्क मुख्य रूप से ग्रामीण केंद्रित है और 90 प्रतिशत से अधिक डाकघर गाँवों में स्थित हैं। 1.4 लाख ग्रामीण डाकघर देश के 7 लाख से अधिक गाँवों को कवर करते हैं यानी प्रत्येक ग्रामीण डाकघर लगभग 5 गाँवों को कवर करता है। आज डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं ऑनलाइन हैं और डाक घर बचत खाता (पीओएसबी) धारकों के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस भी उपलब्ध है। गाँव के पोस्टमास्टर और पोस्टमैन सभी हैंडहेल्ड 'दर्पण' डिवाइस के साथ-साथ स्मार्ट फोन से लैस हैं जिससे वह लोगों को घर बैठे-बैठे कई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गए हैं।

भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) 158 साल पुराना संगठन है जिसका 1.59 लाख डाकघरों का नेटवर्क हमारे विशाल देश के कोने-कोने में फैला है। लगभग 54,000 डाकघरों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। आज भारतीय डाक एक सक्रिय संगठन है जो न केवल डाक बल्कि बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट, आधार और यहां तक कि 'गंगा जल' और महत्वपूर्ण मंदिरों के 'प्रसादम' की बिक्री जैसी कई विविध सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सभी सेवाओं के पीछे डाक विभाग की आईटी सक्षमता है जो डाक सेवाओं की आसान और किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

भारतीय डाक केंद्र सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान है जो देश के हर कोने में मौजूद है। नेटवर्क मुख्य रूप से ग्रामीण केंद्रित है और 90 प्रतिशत से अधिक डाकघर गाँवों में स्थित हैं। 1.4 लाख गाँव के डाकघर देश के 7 लाख से अधिक गाँवों को कवर करते हैं यानी प्रत्येक गाँव डाकघर लगभग 5 गाँवों को कवर करता है। कुछ समय पहले तक गाँव का डाकघर एक अचल भवन था जहां इन 5 गाँवों के लोगों को डाक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं आना पड़ता था। इससे न केवल सेवाओं की प्रदायगी की कमी के मुद्दे उपजे बल्कि ग्रामीण जनों के लिए डाकघर आने-जाने के लिए



लेखक सचिव, पोस्टल सर्विसेज़ बोर्ड, डाक भवन, नई दिल्ली हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : aman3172@gmail.com

आईपीपीबी के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का शत-प्रतिशत मालिकाना हक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सितंबर, 2018 को आईपीपीबी का शुभारंभ किया था। बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई है कि इसके ज़रिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके। आईपीपीबी का बुनियादी काम यह है कि वह बैंकों तक कम पहुंच वाले और बैंकिंग सेवाओं से न जुड़े लोगों के लिए देश के 1,60,000 डाकघरों (1,45,000 ग्रामीण डाकघर), 4,20,000 डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करे। आईपीपीबी की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप 'इंडिया स्टैक' के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत कागज रहित, नकद रहित, बिना बैंक गए, आसान और सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध हो। इसके लिए सीबीएस-समेकित स्मार्टफोन और बायोमैट्रिक उपकरण को माध्यम बनाया गया। जनता के लिए सस्ते नवाचार और बैंक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर देते हुए आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के ज़रिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है। आईपीपीबी कम से कम नकदी इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है। भारत समृद्ध होगा, जब हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर मिलेंगे। आईपीपीबी का मूलमंत्र है—

“हर उपभोक्ता महत्वपूर्ण है; हर लेन-देन महत्वपूर्ण है और हर जमा धन मूल्यवान है।”

समय निकालना और पैसा खर्च करने ने इसे महंगा बना दिया।

डाक विभाग में 4909 करोड़ रुपये की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 1.0 के लागू होने के बाद से इस स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। इस परियोजना को, जिसे हालांकि 2012 में अनुमोदित किया गया था, पर उसके कार्यान्वयन में अधिक प्रगति नहीं देखी गई थी, तत्पश्चात् 2014 में 'फास्ट ट्रैक' पर रखा गया। सभी 1.59 लाख डाक घरों को आई.टी. नेटवर्क से जोड़े जाना सुनिश्चित किया गया और डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। आज डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं ऑनलाइन हैं और डाक घर बचत खाता (पीओएसबी) धारकों के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस भी उपलब्ध है। गाँव के पोस्टमास्टर और पोस्टमैन सभी हैंडहेल्ड 'दर्पण' डिवाइस के साथ-साथ स्मार्ट फोन से लैस हैं जिससे वह लोगों को घर बैठे-बैठे कई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस 'दर्पण' डिवाइस भारत में बना मज़बूत हैंडहेल्ड डिवाइस है और इसमें बायोमैट्रिक स्कैनर, कार्ड रीडर और ब्लू टूथ थर्मल प्रिंटर है जो पोस्टमास्टर को नागरिकों के घरों या उनके खेतों पर भी उचित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद डाक के साथ-साथ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जून 2016 से अभी तक लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 86.39 करोड़ लेनदेन अभी तक 'दर्पण' उपकरण पर किए जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लेन-देन ग्रामीण डाकघर की चारदीवारी के भीतर नहीं बल्कि खेतों में किए गए हैं। आज गाँव के पोस्ट मास्टर को खेतों या मनरेगा कार्यस्थलों पर, ग्रामीणों को नकद पहुँचाते हुए देखना आम बात है चाहे वह उनका प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) हो या मनीआर्डर भुगतान।

डाक सेवाओं को नागरिकों के द्वार पर मुहैया किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी

में क्रांति आ गई है। अध्ययनों से पता चला है कि एक ग्रामीण नागरिक को बैंक या एटीएम से नकदी निकालने के लिए प्रति ट्रिप लगभग 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक को 1000 रुपये की पेंशन निकालने के लिए इस राशि को खर्च करना ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मूल उद्देश्य को विफल करता है। यह एक तथ्य है कि यूपीआई की अपार सफलता के बावजूद उपभोग से संबंधित ग्रामीण लेनदेन में अभी भी बड़ी मात्रा में नकदी का प्रयोग होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट मास्टरों द्वारा नकदी को घर पर प्रदान करने से व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।

वित्तीय सेवाओं को द्वार पर प्रदान करने की दिशा में 1 सितंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक-आईपीपीबी) एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। थोड़े ही समय में आईपीपीबी एक विश्वसनीय भुगतान बैंक के रूप में स्थापित हुआ है जो डाकघरों के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल कर प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्म के माध्यम से कागज़ रहित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। आईपीपीबी ने पोस्टमैनों और ग्रामीण पोस्टमास्टरों को 1.5 लाख से अधिक एंड्रॉइड स्मार्ट फोन प्रदान किए हैं जिन्होंने बैंकिंग सेवाओं की द्वार पर प्रदायगी को सक्षम बनाया है। आरबीआई द्वारा भुगतान बैंकों को सीमित बैंकिंग की अनुमति के बावजूद आईपीपीबी ने 5.9 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं जिनमें से 48 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के हैं और इनमें से लगभग 90 प्रतिशत खाते इन महिलाओं के घर जाकर खोले गए हैं। अब तक आईपीपीबी ने 1.57 लाख करोड़ रुपये के 2.36 करोड़ लेन-देन किए हैं जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए गए हैं।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), जो आईपीपीबी की सबसे लोकप्रिय सेवा है, ने खाताधारक के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण



है। हालांकि यह अभी तक घर तक नहीं पहुंचाई गई हैं पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिनमें से 429 चालू हैं, ने नागरिकों की पासपोर्ट तक पहुँच को पूरी तरह से बदल दिया है। अब नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) जो अक्सर राज्य मुख्यालयों में स्थित होते हैं, तक की यात्रा में पैसा और समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने निकटतम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) पर जाने के लिए बस एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो कि अधिकांश ज़िला मुख्यालयों में उपलब्ध हैं और इनका और विस्तार किया जा रहा है। इसी तरह, 13,000 से अधिक डाकघर आधार केंद्रों ने नागरिकों के लिए आधार हेतु पंजीकरण करना और साथ ही आधार में अपने

के बाद पोस्टमैनों को किसी भी बैंक (सार्वजनिक और निजी दोनों) खाते से निकासी करने में सक्षम बनाया है और यह आधार से जुड़ा हुआ है। अब तक 8.76 करोड़ बैंक खातों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी आईपीपीबी द्वारा आईपीएस का उपयोग करके की गई है। कोविड महामारी के दौरान आईपीएस ने पोस्टमैनों को ग्राहक के घर पर 12,000 करोड़ रुपये नकद से अधिक वितरित करने में सक्षम बनाया। यह लॉकडाउन के दौरान कई संकटग्रस्त नागरिकों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है जब अधिकांश एटीएम खाली थे और बैंक शाखाएं बंद थीं।

बैंकिंग सेवाओं के अलावा, आईपीपीबी पेंशनभोगियों को बीमा (जीवन, चिकित्सा और आकस्मिक) सेवाएं, आधार सेवाएं (मोबाइल नंबर अद्यतनीकरण) और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्रदान करता है। आधार सेवाएं सबसे सफल रही हैं जिनके अंतर्गत लगभग 3 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक लेन-देन हुए हैं और सभी को 'घर के द्वार' पर प्रदान किया गया है। आईपीपीबी द्वारा पेंशनभोगियों के घर पर पोस्टमैनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) सेवाएं भी बहुत लोकप्रिय हैं और वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवित होने के प्रमाण को जमा कराने के लिए हर साल एक बार अपनी बैंक शाखा या डाकघर जाने से बचाती हैं। इस तरह प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारतीय डाक के अखिल भारतीय सेवा प्रदायगी नेटवर्क के इष्टतम उपयोग को सक्षम किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कई नागरिकों के जीवन में बदलाव आया है।

प्रौद्योगिकी के प्रभाव को पासपोर्ट सेवाओं जैसे जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं के क्षेत्र में भी महसूस किया गया

पते/टेलीफोन विवरण में संशोधन करना आसान बना दिया है। 6.29 करोड़ से अधिक नागरिकों ने डाकघरों में इन आधार सेवाओं का उपयोग किया है जिनमें से 1.73 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 1.19 लाख डाकघर नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से 70 से अधिक जी2सी (सरकार से नागरिक) और बी2सी (व्यवसाय से नागरिक) सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सेवाओं को गाँव के पोस्टमास्टर्स के पास उपलब्ध स्मार्ट फोन का उपयोग करके घर-घर पहुँचाया जा रहा है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में संपन्न 'हर घर तिरंगा' अभियान में भारतीय डाक ने 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मात्र 25 रुपये की मामूली दर पर 1.34 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बेचकर एक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार ऐसे ध्वज भारतीय डाक के ई-पोस्टऑफिस ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से भी बेचे गए और ऑनलाइन ऑर्डर किए गए ध्वजों की घर पर डिलीवरी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया। 16 दिवसीय अभियान के दौरान भारतीय डाक द्वारा 2.5 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज ऑनलाइन बेचे गए। इस तरह के 30 प्रतिशत से अधिक ऑनलाइन ऑर्डर ग्रामीण क्षेत्रों से किए गए। भारतीय डाक की इस छोटी-सी पहल ने इस पूर्वानुमान की फिर से पुष्टि की है कि ई-कॉमर्स में आने वाली तेजी की अगली लहर ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली है और भारतीय डाक उन चंद संगठनों में से एक है जो ई-कॉमर्स की इस मांग को पूरा कर सकता है।

भावी कदम: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, जो जटिल अनुप्रयोगों के यूजर इंटरफेस को सरल बना रही है, अधिक से अधिक ग्राहकों से सेल्फ सर्विसिंग प्रणाली अपनाने की उम्मीद है जिसमें इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग, पैकेट की बुकिंग और डिलीवरी के लिए सेल्फ सर्विसिंग कियोस्क का उपयोग आदि शामिल है। हालांकि भारत जैसे देश में, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का बड़ा भाग अभी भी इतना शिक्षित नहीं है कि वे सेल्फ सर्विसिंग के विकल्प चुन सकें, इसलिए आगामी 15-20 वर्षों तक डाकघर की भूमिका के महत्वपूर्ण बने रहने की उम्मीद है। वर्तमान सरकार प्रत्येक गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में निर्मित बैंक/डाकघर भवन उपलब्ध कराने पर बहुत जोर दे रही है। वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका गाँव के पोस्टमास्टर्स/पोस्टमैनों को सुदृढ़ और आसानी से प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी से लैस करना होगा जिससे वे मांग होने पर बैंकिंग, जी2सी और बी2सी सेवाओं को घर पर प्रदान करने में सक्षम हों।

2021 में भारत सरकार ने भारतीय डाक के लिए आईटी आधुनिकीकरण 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है जिस पर 5785 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बड़े पैमाने पर और जटिल आईटी परियोजनाओं के लिए लंबी विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परियोजना को सामान्य 5 वर्षों के बजाय 8 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। भारतीय डाक की आईटी 2.0 परियोजना न केवल वाइड एरिया नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम करेगी बल्कि मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली लगभग सभी वर्तमान और भावी सेवाओं को प्रदान करने के लिए माइक्रो-सर्विसेज आधारित प्लेटफॉर्म का निर्माण भी करेगी। विभाग की आईटी 2.0 परियोजना की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

1. आईटी 2.0 किसी भी सरकारी संगठन को एक ओर, मजबूत आईटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए और दूसरी ओर, सेवाओं को द्वार पर प्रदान करने के लिए अंतिम मील प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा।
2. चुस्त मापनीय केंद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी सरकारी विभाग/संगठन को भारतीय डाक के सुरक्षित क्लाउड में अपनी सेवाओं/उत्पादों को एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय डाक मोबाइल आधारित ऐप्स का उपयोग करके डिजिटल सेवाओं को भौतिक रूप से मुहैया करवाएगा।
3. इसी तरह ओपन प्लेटफॉर्म बनाने से कई अन्य वितरण संगठन/निजी एजेंसियां भारतीय डाक की अंतिम मील वितरण प्रणाली में 'प्लग एंड प्ले' कर सकती हैं।
4. इंडिया पोस्ट आईटी एनेबल्ड प्रायोरिटीज एप्लीकेशन का उपयोग करके सरकार की हर योजना को देश के हर वर्ग और स्थान में पहुँचाए जाने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

भारतीय डाक की एक और पहल जिसके दूरगामी परिणाम सेवाओं की घर पर डिलीवरी में उजागर होने की उम्मीद है, वह है— डिजिटल एड्रेस कोड (डीएसी) परियोजना। इस परियोजना के तहत देश के प्रत्येक पते को जियो-टैग करने और एक विशिष्ट अल्फा-न्यूमेरिक कोड प्रदान करने का प्रस्ताव है। डीएसी से न केवल सरकारी एजेंसियों विशेष रूप से आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए, बल्कि निजी संस्थाओं के लिए भी, द्वार पर सेवाओं की डिलीवरी के आसान होने की उम्मीद है जो घर पर डिलीवरी में शामिल हैं जैसे कि भोजन की डिलीवरी, ई-कॉमर्स डिलीवरी, कूरियर आदि। ऐसे प्रवेशकों के सामने आने वाली विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण स्टार्टअप के समक्ष मौजूदा प्रवेश बाधा को भी डीएसी के माध्यम से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।

5. केंद्र/राज्य सरकारों के सभी एप्लिकेशनों से जुड़ी मोबाइल आधारित सेवा प्रदायगी एप्लिकेशन वाले 1.59 लाख डाकघरों के अंतिम मील नेटवर्क के साथ ये चलते-फिरते आईटी सक्षम डिलीवरी कर्मी सरकार की पहुँच को बढ़ाएंगे। सभी डाकघरों और डिलीवरी कर्मियों को खुले नेटवर्क का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
 6. तीव्र डिलीवरी के लिए भारतीय डाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करेगा और आपूर्ति शृंखला परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम विज़िबिलिटी (वास्तविक समय दृश्यता) प्रदान करेगा जो सरकार की लागत घटाने और डिलीवरी को किफायती बनाने में मदद करती है।
- इसके अलावा, देश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाओं की शुरुआत के साथ जल्द ही किसी भी स्मार्टफोन पर डेटा हैवी एप्लिकेशन को होस्ट करना आसान हो जाएगा और ग्रामीण जनों को शहरी ग्राहकों या डाक भवनों के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध लगभग सभी सेवाएं अपने द्वार पर भी उपलब्ध होंगी। इस तरह, भारतीय डाक का ग्रामीण नेटवर्क गाँवों में जी2सी और बी2सी सेवाओं की प्रदायगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यह देखा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद डिलीवरी की लंबी अवधि से निपटने के लिए सरकारी सेवाओं को लोगों के घर पर मुहैया करवाने पर भरोसा कर रही हैं। यहां तक कि कुछ राज्य सरकारें राशन और दवाओं को घर-घर तक पहुँचाने पर भी विचार कर रही हैं। जैसे-जैसे नागरिकों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ती हैं और किसी सरकारी एजेंसी के पास एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधार उपलब्ध हो जाता है, सरकारी सेवाओं का एक बड़ा प्रतिशत ऑनलाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा और

डाकघर ऐसी सेवाओं को उन ग्रामीण जनों के द्वार पर उपलब्ध कराने के लिए भौतिक नेटवर्क प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए देश में अब तक क्षमता से कम उपयोग में आने वाले डाक नेटवर्क की अपार संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार डीबीटी से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग और जनगणना तक अधिक से अधिक सेवाओं की प्रदायगी की जिम्मेदारी भारतीय डाक को सौंपने के लिए तैयार है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डर पूर्ति के लिए अपना नेटवर्क उपलब्ध कराकर डाकघर सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पहल के लिए ओपन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय डाक इस दिशा में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इसके अलावा, भारतीय डाक ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं को ऑर्डर पूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए 'जेम' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक 1000 से अधिक जीईएम विक्रेता शामिल हो चुके हैं और 3000 से अधिक ऑर्डर भारतीय डाक पार्सल सेवाओं का उपयोग करके जीईएम खरीदारों को पैक, बुक और वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था पर काम किया गया है और भारतीय डाक वर्तमान में देश भर में फ़ैले ट्राइफेड के 15 गोदामों को ऑर्डर पूर्ति सेवाएं प्रदान कर रहा है। आगे कदम बढ़ाते हुए भारतीय डाक ग्रामीण ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए यह न केवल गाँवों में ई-कॉमर्स वस्तुओं की डिलीवरी के लिए पसंदीदा डिलीवरी तंत्र के रूप में कार्य करता है बल्कि गाँवों से उत्पन्न व्यापारिक उत्पाद के लिए ऑर्डर पूर्ति इकाई के रूप में भी कार्य करता है। इन दोनों सेवाओं को आईटी तंत्र के माध्यम से मजबूत किए गए भारतीय डाक के भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके द्वार पर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। भारतीय डाक द्वारा ऐसे सभी ग्राहकों को एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) प्रदान किए बिना जिससे डेटा का निर्बाध प्रवाह होता है ई-कॉमर्स के क्षेत्र में इस तरह के गठजोड़ संभव नहीं होंगे।

इन वजहों से भारतीय डाक द्वारा आईटी 2.0 परियोजना का सफल कार्यान्वयन अत्यंत प्राथमिकता रखता है क्योंकि यह



अत्याधुनिक आईटी तंत्र से लैस डाकघरों के निर्माण में मदद करेगा और किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वह विशुद्ध रूप से डिजिटल या एनालॉग हो या फिर हाइब्रिड मोड में हो, प्रदान करने में सक्षम होगा। इस अत्याधुनिक संसाधन के उपयोग की अपार संभावनाएं होंगी। यहां तक कि आधार पंजीकरण और अपडेशन, पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा करने जैसी सेवाएं, जो वर्तमान में केवल डाकघर काउंटरों के माध्यम से उपलब्ध हैं, सभी को पोस्टमैन मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके द्वार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे न केवल इन सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी बल्कि नागरिक अनुपालन में भी सुधार होगा।

संक्षेप में, ई-कॉमर्स ने पहले ही देश के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की डिलीवरी में क्रांति ला दी है। ग्रामीण इलाकों में जल्द ही ऐसा होने वाला है क्योंकि भारतीय डाक और अन्य निजी कंपनियां अपने ग्रामीण नेटवर्क के निर्माण और उन्हें मजबूती प्रदान करने में जुटी हैं। सेवा प्रदायगी क्षेत्र में भी ऐसी क्रांति आने वाली है और जैसे-जैसे नागरिकों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, केंद्र और राज्य सरकारें उनकी ऐसी उम्मीदों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगी। डाकघर ने जो दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और सभी डाक, जी2सी और कई बी2सी सेवाओं को नागरिकों के द्वार पर प्रदान करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को अभी भी स्वयं इन सेवाओं का लाभ उठाना कठिन लगता है, अपने आई टी के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कर रहा है। वर्ष 2024 तक, जब भारतीय डाक की आईटी 2.0 परियोजना का बड़ा भाग पूरा होने के करीब होगा, गाँव का पोस्टमैन माँग पर लोगों के द्वार पर अनेक जी2सी और बी2सी सेवाएं प्रदान करने में समर्थ होगा।

वित्तीय साक्षरता

निवेशक दीदी पहल

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए' निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की जनसांख्यिकी में वित्तीय साक्षरता का प्रसार चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क की मदद से आखिरी छोर तक पहुँच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के अंतर को पाटने के लिए आईपीपीबी ने नई पहल की है।

भारत सरकार के निर्देश पर, आईपीपीबी ने ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन की यह यात्रा शुरू की है, जहां तक पहुँच और संचार में हमेशा बाधा रही है। शुरुआत से ही, डाकिया/ग्रामीण डाक सेवक देश के कोने-कोने में आम जनता तक पहुँचते रहे हैं और उनके दरवाजे पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, आईपीपीबी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईपीएफए) के सहयोग से 'निवेशक दीदी' नामक पहल शुरू की है। इसमें 'महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए' अवधारणा को आत्मसात किया गया है। निवेशक दीदी पहल महिलाओं के लिए महिलाएं की सोच पर आधारित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने मन में उठे सवालों को किसी महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं। संचार मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया



पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने हाल ही में श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में डल झील के आसपास स्थानीय निवासियों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए **भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर** आयोजित किया।

'निवेशक दीदी' पहल के शुभारंभ के हिस्से के रूप में, आईपीपीबी ने एक नवनि्युक्त निवेशक दीदी द्वारा भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। यह शिविर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया। शिकारा इन लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसे में कई शिकारा पर ही लोग जुटे और 'निवेशक दीदी' ने शिकारा से ही स्थानीय कश्मीरी भाषा में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया। इस तरह से पूरा सत्र डल झील के पानी में आयोजित किया गया।

भारत में आयोजित पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर देश के हर घर में दूर-दूर तक पहुँचने की डीओपी टीम की क्षमता को दर्शाता है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र अलग-अलग हैं। इसने ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को लेकर समझ बढ़ाने, धोखाधड़ी से सावधान रहने और निवेशक दीदी की मदद से अपनी भाषा में सहायता पाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

'निवेशक दीदी' के ज़रिए, आईपीपीबी ग्रामीण आबादी के सामने भाषा और वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की बुनियादी समझ को लेकर सामने आने वाली चुनौतियों को पार करते हुए नया मील का पत्थर हासिल करेगा। ग्रामीण जनता से गहरा सामाजिक जुड़ाव रखने वाली महिला डाकिया, 'निवेशक दीदी' विशेष रूप से महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ सुविधाजनक तरीके से सहयोग करेंगी।



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ई-गवर्नेंस की भूमिका

—जय प्रकाश पाण्डेय

ई-गवर्नेंस 21वीं सदी की वह क्रांतिकारी तकनीक है जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। ई-गवर्नेंस से शिक्षा की पहुँच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा-शास्त्र, शैक्षिक व्यवहार, मूल्यांकन पद्धति एवं शैक्षिक प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में नए एवं व्यापक नवाचार हुए हैं। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग और इंटरनेट जैसी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने स्कूल, छात्र और अध्यापकों के बीच संबंध को नए रूप में परिभाषित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोरोना विभीषिका के बाद से शिक्षा में ई-गवर्नेंस के प्रयोग में अभूतपूर्व तेज़ी आई है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बेहतरीन इंसान और बेहतर दुनिया के निर्माण की सबसे आवश्यक शर्त है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता और शिक्षा के व्यापक लाभ के लिए समावेशी और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने 17 सतत विकास लक्ष्यों के बीच शिक्षा को सतत विकास लक्ष्य 4 के रूप में शामिल किया।

ई-गवर्नेंस 21वीं सदी की वह क्रांतिकारी तकनीक है जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। ई-गवर्नेंस से शिक्षा की पहुँच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा-शास्त्र, शैक्षिक व्यवहार, मूल्यांकन पद्धति एवं शैक्षिक प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में नए एवं व्यापक नवाचार हुए हैं। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग और इंटरनेट जैसी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने स्कूल, छात्र और अध्यापकों के बीच संबंध को नए रूप में परिभाषित किया है। ई-गवर्नेंस शिक्षा के सभी पहलुओं—पारदर्शिता में सुधार, त्वरित सूचना प्रदान करने, प्रसार, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में मदद करता है। स्कूली-स्तर से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में ई-गवर्नेंस का योगदान है।

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों— पहुँच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने और विश्वविद्यालयों को वैश्विक उच्च शिक्षा स्तर तक लाने, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रथाओं को बदलने, शिक्षा में सुधार, सूचना और सेवा वितरण में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने, प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में ई-गवर्नेंस ने प्रभावी भूमिका निभाई है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ई-गवर्नेंस— नब्बे के दशक में सूचना क्रांति के बाद से ही देश में शिक्षा में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल प्रारम्भ हो गया था किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोरोना विभीषिका के बाद से शिक्षा में ई-गवर्नेंस के प्रयोग में अभूतपूर्व तेज़ी आई है।

सूचना प्रौद्योगिकी से सीखने की तकनीकों में तेज़ी से बदलाव और विकास हुआ है। जहाँ पहले एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति प्रयोग की जाती थी, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रत्येक छात्र के सीखने की क्षमता और गति के आधार पर अनुकूलित शिक्षण पद्धति प्रयोग की जा सकती है ताकि उन्हें सीखने में पूरा लाभ मिल सके।

ई-लर्निंग अधिक लचीला शिक्षण दृष्टिकोण प्रदान करता है। ई-लर्निंग पहल का, रणनीतिक और सामरिक, दोनों स्तरों पर

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

पूरा शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा सुलभ बनाने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए 'एक कक्षा-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार कर 200 टीवी चैनल किया जाएगा

महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना


व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी

डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा

Wear Mask

लेखक निदेशक, स्कूली शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल: jppandey.irpas@gov.in



विश्वविद्यालयों की भविष्य की संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्याख्याताओं की बदलती भूमिका, परिवर्तनशील सीखने का माहौल और ई-लर्निंग सुविधाओं के डिजाइन सभी संभावित रूप से अधिक लचीले संगठनात्मक संरचना में योगदान करते हैं। ई-लर्निंग ने छात्र और शिक्षक दोनों को बेहतर शिक्षण उपकरण प्रदान किया है। ऑनलाइन तरीके—जैसे बुलेटिन बोर्ड, वर्चुअल लेक्चर और ई-लाइब्रेरी आदि अधिक प्रभावी शिक्षा को सक्षम करते हैं और पारम्परिक शिक्षण विधियों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला-(एन-डियर)

एन-डियर (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर) शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है। एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का विधान करेगा बल्कि शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रशासनिक गतिविधियों का भी समर्थन करेगा। केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक शिक्षा इको-सिस्टम आर्किटेक्चर प्रदान करेगा। एन-डियर एक संघीय लेकिन इंटरऑपरेबल सिस्टम है जो सभी हितधारकों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा। यह सरकारों, स्वायत्त निकायों और अन्य शैक्षिक संगठनों के समृद्ध और विविध शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और उत्प्रेरित करेगा ताकि प्रौद्योगिकी निर्माण ब्लॉकों का निर्माण और योगदान किया जा सके।


शिक्षण पद्धति में संचार प्रौद्योगिकी

ई-लर्निंग में कंप्यूटर-आधारित शिक्षा, वेब-आधारित शिक्षा, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल सहयोग सहित अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं का एक विस्तृत समूह शामिल है। ई-लर्निंग सिस्टम में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों के प्रबंधन और निर्देशों को तैयार करने की शक्तिशाली क्षमता है। यह दूरस्थ शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए अंतरराष्ट्रीय, क्रॉस-अंतर्सांस्कृतिक

और सहयोगी सीखने का अवसर; संचार क्षमताएं छात्रों और फौकल्टी को ऑनलाइन मुद्दों पर चर्चा करने, सहयोगी सत्रों को शेड्यूल करने और भौगोलिक सीमाओं के पार टीमवर्क को सक्षम करने और कक्षा से परे सीखने का विस्तार करने के लिए समूह बनाने की अनुमति देती हैं।


विभिन्न आईसीटी पहलें जैसे वीडियो पाठ, एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) और डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि ने दूर से शैक्षिक कार्यक्रमों की पेशकश का दायरा बढ़ा दिया है। पहले ऑफ-कैंपस डिलीवरी उन छात्रों के लिए एक विकल्प था जो नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे। आज छात्र प्रौद्योगिकी-सुगम सीखने की सेटिंग के माध्यम से यह विकल्प चुनते हैं। यह समय और लागत बचाने में मदद करता है और विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और दृष्टिकोण के छात्रों के लिए पसंद के पाठ्यक्रमों का विकल्प देता है। देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से जाने-माने शिक्षकों को मोबाइल प्रौद्योगिकियों और निर्बाध संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुविधानुसार शिक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में चल रही अनेक ई-गवर्नेंस पहलों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने में इसकी भूमिका को आसानी से समझा जा सकता है।





पीएम ई-विद्या

पीएम ई-विद्या शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इससे देश भर के करोड़ों बच्चों को लाभ हो रहा है।




ई-पाठशाला

ई-पाठशाला एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में ग्रेड 1-12 के लिए 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-बुक और 504 फिलपबुक हैं। और यह शिक्षकों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए संसाधन भी होस्ट करता है। इसमें विभिन्न भाषाओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री है।




डिजिटल शिक्षा-दीक्षा

स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा सार्वजनिक डोमेन में ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है जिस पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्र सरकार के एनसीईआरटी, सीबीएसई और एनआईओएस के अपने स्वयं के वर्टिकल हैं। इसमें 36 भाषाओं (32 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं) में ग्रेड 1 से 12 के छात्रों के लिए ई-लर्निंग सामग्री भाषावार, कक्षावार, विषयवार और विषयवार सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक अध्यायवार, दिए गए विषय के लिए शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण वीडियो, हार्ड स्पॉट पर वीडियो, स्लाइड, अवधारणा मानचित्र सहित अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए क्यूआर कोडेड पाठ्य पुस्तकें दीक्षा में शामिल हैं। प्रासंगिक स्थानों पर पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड हैं और क्यूआर कोड में ई-सामग्री टैग की गई है।



स्वयं

स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम का उद्देश्य वंचितों सहित सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को उपलब्ध कराना है। इसके तहत 2000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स तैयार किए गए हैं जिसे कोई भी छात्र अपनी इच्छा, सहूलियत, योग्यता



और क्षमता के हिसाब से कर सकता है। 'स्वयं' उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।

स्वयं प्रभा—इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुँचाना है। कक्षा 1-12 हेतु 'वन क्लास वन चैनल' सहित कुल 32 डीटीएच टीवी चैनल स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री प्रतिदिन 24 घंटे प्रसारित करते हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। निजी डीटीएच ऑपरेटर भी इन पाठ्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में, जो ऑनलाइन नहीं हैं, उनके लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो और शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। एनआईओएस के लिए कक्षा 9 से 12 तक की सामग्री प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का भी उपयोग किया गया है।

विकलांग छात्रों के लिए— एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से बधिर छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा में संचालित किया जा रहा है। नेत्रहीन और श्रवणबाधित छात्रों के लिए ई-सामग्री, डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री, विकसित की गई है। सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा के वीडियो, पाठ्य पुस्तक अध्यायों के ऑडियो पुस्तकों के रूप में रिकॉर्ड, साइन लैंग्वेज वीडियो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

वर्चुअल लैब/अनुभवजन्य प्रयोगशाला

आभासी प्रयोगशाला सभी छात्रों को इंटरैक्टिव सिमुलेशन वातावरण आधारित गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक प्रयोग-आधारित सीखने के अनुभव प्रदान करने एवं एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को उपयुक्त डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पर्याप्त पहुँच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड, हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइज, छात्र विकास के लिए अनुकूल कंप्यूटर परीक्षण और शैक्षिक सॉफ्टवेयर

और हार्डवेयर के अन्य रूपों से जुड़ी नई तकनीकों वर्चुअल लैब के माध्यम से आसानी से सीखी जा सकती हैं। ओ-लैब, दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब्स उपलब्ध हैं।

डिजिटल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक प्रबंधन

डिजिटल पुस्तकालय 'एक बटन के स्पर्श' पर असीमित संख्या में प्रतियों तक पहुँच प्रदान कर सकता है। पुस्तकालयों में ई-पुस्तकों (इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों) के साथ-साथ ऑनलाइन कैटलॉग, पूर्ण-पाठ खोज और पुनर्प्राप्ति सुविधाएं, स्वचालित रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्यूटर-आधारित निर्णय लेने आदि डिजिटल ज्ञान और उनकी पहुँच तंत्र को मज़बूत करती हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कोर बुक्स, ऑडियो बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियो/ऑडियो लेक्चर्स, प्रश्न, समाधान और अन्य लर्निंग कंटेंट प्रदान करती है जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं।

शिक्षकों के समग्र विकास में संचार प्रौद्योगिकी (निष्ठा)

शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस शिक्षकों के विकास में भी प्रयोग हो रहा है। निष्ठा 'एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार' हेतु ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप है। इसके ज़रिए अब तक देश भर के लगभग 4.2 मिलियन शिक्षकों का क्षमता निर्माण किया गया है।



अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट

एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थाओं से डिग्री प्रदान की जा सके। एबीसी पर 800 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान और लगभग 40 लाख छात्र रिकॉर्ड बनाए गए हैं। यह सब ई-गवर्नेंस से ही संभव हो पा रहा है।

समर्थ ई-गवर्नेंस सूट

'समर्थ' परियोजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, सक्षम, मज़बूत,

सुरक्षित, स्केलेबल और विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन इंजन बनाना है। 'समर्थ ई-गवर्नेंस सूट' एक ई-गवर्नेंस सॉफ्टवेयर है जिसमें क्लाउड-आधारित सेवा के रूप में सार्वजनिक वित्त पोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों को सॉफ्टवेयर की पेशकश की जा रही है। छात्र जीवनचक्र, संकाय जीवनचक्र और अन्य विश्वविद्यालय प्रशासन मुद्दों के प्रबंधन के लिए 80 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थाओं को 'समर्थ' में शामिल किया गया है।

ई-शोध सिंधु

'ई-शोध सिंधु' भारत में सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुँच प्रदान करती है। कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ई-जर्नल्स और ई-डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है जिसमें भारत में केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (एनईएटी)

इसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा शिक्षाशास्त्र में सर्वोत्तम तकनीकी समाधान लाना है जिससे अधिक रोजगारपरक कौशल विकास वाले क्षेत्रों में अनुकूलित, व्यक्तिगत, अनुकूल शिक्षण या ई-सामग्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

दक्षता वृद्धि में ई-गवर्नेंस की भूमिका—ई-गवर्नेंस ने शैक्षिक प्रशासन, सूचना तंत्र को सक्षम बना कर पूरे शैक्षिक जगत की दक्षता में वृद्धि की है।

केंद्रीकृत सूचना, एकीकृत सेवाएं

ई-गवर्नेंस ने सेवा वितरण को सरल बनाने, दोहराव को कम करने और कम लागत पर सेवा के स्तर और गति में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। यह विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, विभागों और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी बनाने, प्रबंधित करने और साझा करने की अनुमति देता है।

साथ ही, शिक्षा के लिए सेवाओं जैसे फीस जमा करना, प्रवेश देना, विनियमों का संचालन करना, वेतन और लाभ का भुगतान करना, पंजीकरण, प्रवेश, छात्र सूचना, कक्षाएं, समय सारणी, परिवहन, उपस्थिति, पुस्तकालय, वेतन, व्यय, परीक्षाएं, एक संस्थान में विभिन्न विभागों के बीच प्रदर्शन, ग्रेड, छात्रावास, सुरक्षा, रिपोर्ट, प्रबंधन, परिवहन, कर्मचारियों का विवरण और शुल्क आदि एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यक सूचनाएं और सेवाएं कहीं भी, कभी भी प्राप्त होने से छात्रों और शैक्षिक प्रशासन के संसाधन, समय और ऊर्जा में भारी बचत हुई है। इससे लागत में कमी, पारदर्शिता में सुधार और छात्रों को बेहतर निर्णय लेने और प्रशासन को बेहतर योजना में मदद मिली है।

प्रबंध प्रणाली


ई-गवर्नेंस ने प्रोजेक्ट मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय का प्रबंध पोर्टल समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन, समग्र शिक्षा गतिविधियों, डीबीटी घटकों, भौतिक और वित्तीय प्रगति आदि की मॉनीटरिंग को प्रभावी बनाता है। इन वेबसेवाओं से शिक्षा प्रशासन की दक्षता बढ़ी है।


यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई)

भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसमें 1.49 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.5 मिलियन शिक्षक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 265 मिलियन से अधिक छात्र शामिल हैं। प्रणाली के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एक मजबूत, वास्तविक समय और विश्वसनीय सूचना संग्रह तंत्र होना आवश्यक हो जाता है। यूडीआईएसई स्कूली शिक्षा की ऑनलाइन डेटा संग्रह की प्रणाली है। यूडीआईएसई में स्कूल, ब्लॉक या जिला स्तर से प्राप्त विभिन्न डेटा के आधार पर सुधार के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार किए जाते हैं। साथ ही, जानकारी का उपयोग नियोजन, अनुकूलित संसाधन आवंटन और शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रगति के आकलन के लिए किया जाता है।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)

डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा प्रणाली में निगरानी बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र की संकल्पना की गई है। यह एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में कार्यक्रमों की सफलता के लिए हितधारकों द्वारा डेटा-आधारित निर्णय लेने हेतु एकीकृत और साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा छात्र नामांकन, उनके सीखने के स्तर में प्रगति, स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने, पाठ्य पुस्तक वितरण, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर नज़र रखने और दक्षता वृद्धि के लिए विद्या समीक्षा केंद्र महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस प्रयोग होगा।





विद्यांजली

ई-गवर्नेंस शिक्षा में गुणवत्ता एवं दक्षता के साथ सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूली शिक्षा को मज़बूत करने में भी मददगार हो सकता है। विद्यांजलि एक ऐसी ही स्वयंसेवी प्रबंधन पहल है जो स्कूलों को युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त पेशेवरों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, कॉर्पोरेट संस्थानों से जोड़ती है। ये लोग स्कूल सेवा/गतिविधि में भाग लेने के साथ संपत्ति/सामग्री/उपकरण का भी योगदान कर सकते हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था के सुधार में मदद मिलेगी।

मुद्दे और चुनौतियाँ

जहां ई-गवर्नेंस से अनेक लाभ हैं वहीं अनेक मुद्दे और चुनौतियाँ भी हैं। कर्मचारियों, संकायों और छात्रों को नई ज़िम्मेदारियों की शिक्षा प्रक्रियाओं, कार्यों और संबंधित मुद्दों के पुनर्निर्माण के साथ अनुकूलित किया जाना है। सुरक्षित सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता ई-गवर्नेंस की सबसे प्रमुख चुनौती है। उचित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण तंत्र को लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही किसी विशेष जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा ई-गवर्नेंस को लागू करने में शामिल लागत है। ई-शासन प्रणाली को लागू करने में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है।

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस से शिक्षा प्रणाली से आउटपुट की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 'ई-गवर्नेंस' शैक्षिक संस्थान प्रबंधन को किसी सिस्टम के बड़े स्तर पर लागू करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने और अंतर क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। ई-गवर्नेंस कार्यक्रम शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रदान करने के तरीके में बदलाव, छात्रों के लिए व्याख्यान कक्ष के बाहर सीखने के तरीकों को लागू करके सीखने के तरीकों के लिए एक विकल्प और शैक्षिक प्रशासकों के लिए योजनाओं को लागू करने, प्रगति की मॉनीटरिंग, और डेटा विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त हस्तक्षेपों के निर्माण की सुविधा देता है। ई-गवर्नेंस ने छात्र, शिक्षक, संस्थान और प्रशासन सभी की ज़रूरतों और ज़िम्मेदारियों के संदर्भ में नई अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब छात्र घर बैठे किसी भी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। पढ़ने, पढ़ाने और कोर्स चुनने की कितनी ही बधाएँ समाप्त हो गई हैं जिससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता शिक्षा का विस्तार होगा।

शिक्षा में एक विश्वस्तरीय मानक प्राप्त करने, कुशल प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित ई-गवर्नेंस को लागू करना आवश्यक है। ई-गवर्नेंस से सार्वभौमिक जानकारी तक पहुँच को सक्षम करके सीखने को बढ़ावा देने के तरीके संभव हैं। विभिन्न विभागों की दक्षता बढ़ाने, रिपोर्ट तैयार करने, प्रबंधन, संकाय सदस्य, छात्र और प्रशासनिक कर्मचारी को एक-दूसरे से अधिक आसानी से जुड़ने में आसानी हुई है। बहुत कम लागत पर सूचना के तेज़ी से प्रसार के माध्यम से सेवा प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि होती है।

ई-गवर्नेंस को सुचारू सूचना प्रवाह, सर्वोत्तम अभ्यास, डेटाबेस और सूचना विश्लेषण के साथ बढ़ी हुई क्षमता आदि के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रक्रिया में मानकों को बनाए रखने और संबंधित क्षेत्र में सुधार के लिए अनुकूल कानून बनाकर और अद्यतन संशोधनों को लागू करने की महती ज़रूरत है। अब हमें शिक्षा प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण से कहीं आगे जाना चाहिए। ऑनलाइन सूचना तैयार करने और एकत्र करने के लिए पूरी तरह से नए बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यकौशल की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस की स्थापना और विकास के नवाचार को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। *सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा* ई-गवर्नेंस के समुचित उपयोग से ही संभव है।

संदर्भ

1. <https://www.education.gov.in>
2. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i1C2/A11650581C219.pdf>
3. <file:///C:/Users/hp/Downloads/JPSP-2022-268.pdf>
4. <https://www.jetir.org/papers/JETIR1810865.pdf>
5. https://www.ijser.org/paper/E_Governance_in_Education.html

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधन

“भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण ‘दायित्व’ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने नागरिकों और डिजिटल नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है”- यह उद्गार 28 अक्टूबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार द्वारा अधिसूचित आईटी मध्यवर्ती नियम 2021 में संशोधन के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। खुले, सुरक्षित और भरोसेमंद तथा जवाबदेह इंटरनेट पर बल देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से इन संशोधनों को अधिसूचित किया है। यह ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकताओं को भी बढ़ाते हैं और सोशल मीडिया व अन्य मध्यवर्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उपयोगकर्ता की ओर से डाली गई आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन से संबंधित शिकायतों के बारे में मध्यवर्तियों की कार्रवाई/निष्क्रियता के संबंध में शिकायतों की पृष्ठभूमि के बारे में इन संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। मध्यवर्तियों से अब यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा होगी कि ऐसी किसी सामग्री को अपलोड नहीं किया जा रहा है जो जानबूझकर किसी भी गलत सूचना या जानकारी का प्रसार करती है जो कि पूरी तरह से गलत या असत्य है, इसलिए मध्यवर्तियों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्यवर्ती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करें। नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि इंटरनेट हमारे डिजिटल नागरिकों के लिए खुला, सुरक्षित भरोसेमंद तथा जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को शामिल कर विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद रखने के समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्यवर्तियों के साथ काम करने के सरकार के विज़न और इरादे को साझा करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की पुष्टि की कि “ये नियम सभी भारतीयों के लिए हमारे इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने तथा बरकरार रखने में सरकार और मध्यवर्तियों के बीच नई साझेदारी को चिह्नित करते हैं।”



नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण ‘दायित्व’ है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करें मध्यवर्ती



संशोधित नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं और इस लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://egazette-nic-in/WriteReadData/2022/239919-pdf>

नियमों में प्रभावी किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- (ए) वर्तमान में, मध्यवर्तियों को केवल हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होता है। ये संशोधन मध्यवर्तियों को उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के उचित प्रयास करने का कानूनी दायित्व सौंपते हैं। नया प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यवर्ती का दायित्व केवल औपचारिकता भर नहीं रहे।
- (बी) मध्यवर्ती के नियमों और विनियमों के संबंध में प्रभावी सूचना देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सूचना क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में भी दी जाए।
- (सी) नियम 3(1) (बी)(ii) के आधार को ‘मानहानिकारक’ और ‘अपमानजनक’ शब्दों को हटाकर युक्तिसंगत बनाया गया है। कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- (डी) नियम 3 (1) (बी) में कुछ सामग्री श्रेणियों को विशेष रूप से गलत सूचना, और ऐसी सामग्री जो विभिन्न धार्मिक/जाति समूहों के बीच हिंसा को उकसा सकती है, से निपटने के लिए अलग ढंग से व्यक्त किया गया है।
- (ई) संशोधन में मध्यवर्तियों को संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता बतायी गई है, जिनमें ड्यू डिलिजेंस, निजता और पारदर्शिता की उचित अपेक्षा किया जाना शामिल है।
- (एफ) मध्यवर्तियों की निष्क्रियता या उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने के लिए शिकायत अपील समिति (समितियों) की स्थापना की जाएगी। हालांकि किसी भी समाधान के लिए उपयोगकर्ताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा।



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित



₹ 12/-



₹ 22/-

सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

₹ 15/-

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वनस्टॉप डिजिटल 'जनसमर्थ' पोर्टल

क्रेडिट लिंकड 13 सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ने की पहल



भारत सरकार की एक पहल **जन समर्थ राष्ट्रीय पोर्टल** सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला एक अनूठा वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुँच में आसानी के लिए 13 क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। इस राष्ट्रीय पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सही प्रकार के सरकारी लाभ के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जनसमर्थ पोर्टल सभी लिंकड योजनाओं की सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों की संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है।

पोर्टल सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करता है और ऑटो सिफारिश प्रणाली लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजना की जानकारी प्रदान करती है। यह पोर्टल उन्नत प्रौद्योगिकी से पूरी प्रक्रिया को सरल, तेज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए डिजिटल सत्यापन के आधार पर संपूर्ण ऋण प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है।



राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का अनूठा पोर्टल है जहां यूआईडीएआई, सीबीडीटी, एनएसडीएल, एलटीडी आदि जैसे कई डिजिटल एकीकरण हैं। यह एकीकरण डाटा को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल पहुँच की रीढ़ प्रदान करते हैं और सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के साथ-साथ लाभार्थियों की परेशानी को सीमित करते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल का स्वचालित नियम इंजन लाभार्थियों को पोर्टल के साथ विभिन्न एमएलआई में से चुनने के लिए कई विकल्पों के साथ सक्षम बनाता है। पोर्टल विभिन्न केंद्रीय और राज्य क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा जिसके परिणामस्वरूप ना केवल आवेदकों के लिए बल्कि विभिन्न नोडल एजेंसियों के लिए भी एक संपूर्ण 'इकोसिस्टम'

होगा जो इन योजनाओं के परिचालन पहलुओं को सुविधाजनक बनाता है।

पोर्टल पर केंद्र सरकार की कुल 13 सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध हैं जिसके अंतर्गत चार ऋण श्रेणियां हैं और इस पोर्टल पर वर्तमान में 180 से अधिक ऋणदाता उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर पात्रता की जाँच करके ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है और डिजिटल स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

शिक्षा ऋण योजना: इसके अंतर्गत तीन योजनाएं उपलब्ध हैं। यह योजनाएं भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए स्नातक से लेकर पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान देने के लिए उपलब्ध हैं।

- केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)
- पढ़ो परदेश-विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना
- डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना

कृषि आधारिक संरचना ऋण: इसके अंतर्गत कटाई के बाद प्रबंधन तथा कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाने और कृषि बुनियादी ढांचे, चिकित्सालय और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए तीन योजनाएं उपलब्ध हैं।

- कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना
- कृषि विपणन अवसंरचना
- कृषि अवसंरचना कोष

व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना: इसके अंतर्गत 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। ये योजनाएं नया व्यवसाय स्थापित करने या




मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए तथा लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर ऋण हेतु हैं। योजना लाभ की पात्रता की जांच ऑनलाइन जनसमर्थ वेबसाइट पर की जा सकती है। इसके तहत उपलब्ध योजनाएं—

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- बुनकर मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना
- मैनुअल सफाईकर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना
- स्टैंड अप इंडिया योजना

आजीविका ऋण: इसके अंतर्गत एक योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना— राष्ट्रीय आजीविका मिशन उपलब्ध है जो व्यक्तियों और स्वयंसहायता समूहों के लिए ऋण और ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है।

इन योजनाओं के लिए पात्रता की जांच हेतु जन समर्थ पोर्टल पर विज़िट करें— <https://www.jansamarth.in>



जनसमर्थ योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न

1. जन समर्थ क्या है ?

जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो 13 क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच कर सकते हैं, पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

2. मैं योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

वर्तमान में 4 ऋण श्रेणियां हैं और प्रत्येक ऋण श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं सूचीबद्ध हैं। अपनी पसंदीदा ऋण श्रेणी के लिए आपको पहले कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर प्रदान करके पात्रता की जांच करनी होगी और एक बार जब आप किसी भी योजना के तहत पात्र हो जाते हैं तो आप डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे बढ़ना चुन सकते हैं।

3. किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

प्रत्येक योजना में अलग-अलग दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज, आधार संख्या, मतदाता पहचान-पत्र, पेन संख्या, आय दस्तावेज, बैंक विवरण आदि देने होंगे। आवेदक को पोर्टल पर कुछ बुनियादी विवरण भी देने होंगे।

4. क्या कोई ऋण के लिए आवेदन कर सकता है?

हां, कोई भी व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले, आपको अपनी आवश्यक ऋण श्रेणी के तहत पात्रता की जांच करने की आवश्यकता है और यदि आप पात्र हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. मैं अपना आवेदन कैसे देख सकता हूँ?

आवेदक वेब पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है। पंजीकरण पहचान के साथ साइन-इन करें। स्थिति की जांच करने के लिए डैशबोर्ड पर अपने आवेदन पर क्लिक करें।

संकलन: कुरुक्षेत्र टीम

स्रोत: <https://www.jansamarth.in>

डिजिटल अंतर को पाटना जरूरी

– अविनाश मिश्रा, मधुबंती दत्ता

किसी भी विकासशील देश को विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाली सबसे प्रभावी शक्तियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां हैं। ये प्रौद्योगिकियां युवा कार्यबल को अधिक अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक उन्नत कौशल प्रदान करने में सहायक हैं। इन्हें अपनाने से हम डिजिटल विभाजन को पाट सकते हैं, कम कुशल लोगों को कौशल संपन्न भावी कार्यबल के रूप में तैयार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को समृद्ध होने का अवसर मिले। भारत को अनिवार्य रूप से एक ऐसी सार्वजनिक संस्थागत संरचना की आवश्यकता है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए लाभों का उपयोग करे। भारत में डिजिटल शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करे और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त हो। स्कूली शिक्षा के लिए ग्रामीण भारत में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (अंतिम गंतव्य तक पहुँच) महत्वपूर्ण है पर जहाँ 2जी स्पीड अभी भी एक समस्या बनी हुई है। इसलिए डिजिटल क्रांति लाने के लिए युक्तिपूर्ण सोच, कानून और विनियमन में एक आमूल परिवर्तन आवश्यक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक वायरलेस नेटवर्क के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जिसमें आर्थिक विकास के आयाम निहित होंगे।

भारत प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक आबादी वाले, विविधतापूर्ण और बड़े देशों में से एक है। अपनी आबादी के सशक्तीकरण और व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ई-प्रशासन को लागू करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार का एकीकरण और डेटा-संचालित शासन भारत में ई-सरकार की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी ने बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से अंतरण करना संभव बना दिया है जो कुशल प्रशासन की नींव है। ई-प्रशासन का उपयोग सभी परिचालन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता

बढ़ा देता है।

मौजूदा समाजों में डिजिटल असमानता चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये भिन्नताएं डिजिटल संसाधनों के प्रयोग में पहुँच, वास्तविक उपयोग और दक्षता के विभिन्न स्तरों का परिणाम हैं। डिजिटल संसाधन, विशेष रूप से अत्याधुनिक तकनीकें जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समुदायों के लिए स्थायित्व हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल समाजों को दीर्घकाल तक टिके रहने के लिए डिजिटल असमानता को कम करने की ज़रूरत है। डिजिटल असमानता के



अविनाश मिश्रा नीति आयोग, भारत सरकार में एडवाइज़र (पर्यटन और संस्कृति एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, जल और भूमि संसाधन वर्टीकल) हैं और मधुबंती दत्ता नीति आयोग, भारत सरकार में यंग प्रोफेशनल (पर्यटन और संस्कृति और जलवायु परिवर्तन प्रभाग) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं। ई-मेल: amishra-pc@gov.in, dutta.madhubanti@gov.in

सभी रूपों को सामूहिक रूप से 'डिजिटल विषमता' कहा जाता है। डिजिटल अंतर अभी भी एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। विश्व-स्तर पर तीन अरब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। औद्योगिक देशों की तुलना में विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में इसके न होने की संभावना अधिक है।

एक राष्ट्र का दायित्व बनता है कि वह सभी को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाए ताकि इससे महत्वपूर्ण लाभ हासिल हो सकें। डिजिटल अंतर को पाटने का मुद्दा तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक समाधानों की मांग करता है जो पहुँच, सामर्थ्य, और डिजिटल साक्षरता से जुड़े हैं। मौजूदा तकनीक का उपयोग ऐसे समाधान तैयार करने के लिए किया जा सकता है जो उच्चस्तरीय, भरोसेमंद और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं और जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में असीमित भागीदारी सक्षम होती है।

वित्तीय, लिंग और जातीय असमानताओं के साथ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों और कमजोर वर्गों में भी अंतर बढ़ता जा रहा है। खराब स्थानीय अवसंरचना इंटरनेट को पहुँच वाले स्थानों में धीमा और महंगा बना सकती है जिससे यह कई लोगों की सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। इसके विपरीत इंटरनेट के रुकने से सब देशों में अधियारा छा सकता है। डिजिटल जगत मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी परिवर्तन के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है; सूचना समाज के स्तंभों में अब ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी, ई-हेल्थ और ई-गवर्नेंस शामिल हैं। सूचना की उपलब्धता सार्वभौमिक नहीं है और उन व्यक्तियों और समूहों के बीच हमेशा एक अंतर रहा है जो प्रभावी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। इससे एक डिजिटल डिवाइड उत्पन्न हुआ है जो विकासशील देशों में सरकारों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

डिजिटल डिवाइड से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

सभ्यता में क्रांति फलीभूत करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी की क्षमता को कार्ययोजना की दरकार है। डिजिटल अंतर को पाटने और लोगों को सूचना तक सस्ती, सर्व-समावेशी पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रों को अपने संचार और आईटी के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज स्थानों में, भले ही आईटी अवसंरचना और विशेष रूप से आईटी के उपयोग में सुधार हुआ है। इंटरनेट से संबंधित प्रौद्योगिकियों में सामाजिक परिवेश को बदलने की क्षमता है। ज्ञान हासिल करने और मानव विकास के लिए इंटरनेट जानकारी तक पहुँच आवश्यक है। इंटरनेट कीमतों को घटाने, दक्षता बढ़ाने और श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी द्वारा अर्थव्यवस्था की मदद कर सकता है। इंटरनेट भारत को स्थिरता बनाए रखने, भविष्य के लिए सक्षमता को बढ़ावा



देने और जवाबदेही के दायित्व द्वारा अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। हालांकि साक्ष्य बताते हैं कि इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के फायदों का दायरा समान नहीं है और राष्ट्रों में और स्वयं उनके भीतर अंतर बढ़ता जा रहा है।

जो लोग अधिक जागरूक हैं, अधिक जुड़े हुए हैं और कौशल संपन्न हैं, उन्हें इंटरनेट क्रांति से असमान रूप से लाभ हुआ है। अविश्वसित देशों में ग्राहकों के लिए धीमी गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी की लागत भी अधिक होती है। कुछ देशों का आर्थिक विकास क्षेत्र-विशिष्ट उपकरणों और शुल्कों से बाधित हुआ है। धीमी गति और उच्च विषय-वस्तु लागत के कारण स्थानीय रूप से विषय-वस्तु हॉस्ट या प्रदान करने में असमर्थता के कारण मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संभावित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में विषय-वस्तु और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सेवाओं की आवश्यकता है। बहुत से लोग विशेष रूप से महिलाएं तकाज़ा करती हैं कि वे इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास अपेक्षित कौशल की कमी है।

सभी के लिए किफायती, समावेशी इंटरनेट हासिल करना

पिछले दस वर्षों के दौरान नीतियों का फोकस इंटरनेट पहुँच की आवश्यक अवसंरचना पर रहा है। इसमें उल्लेखनीय सफलताएं

मिली हैं हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना शेष है। वर्तमान में दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी (इंटरनेट सोसाइटी 2016) के पास मोबाइल इंटरनेट सिग्नल पाया जा सकता है। एक समावेशी और सस्ता इंटरनेट स्थापित करने में मदद करने के लिए, जो नवाचार, सशक्तीकरण और विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है, नीति निर्माताओं को अविलंब अपनी सीमाओं को विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है। सभी के लिए एक किफायती, समावेशी इंटरनेट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड महत्वपूर्ण हैं—

बुनियादी ढांचे का महत्व— विकासशील देशों में समावेशिता और रचनात्मकता के सृजन के लिए मोबाइल पहुँच महत्वपूर्ण है। सड़कों और बिजली लाइनों जैसे अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नेटवर्क साझाकरण और फाइबर ऑप्टिक केबल की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों और व्यापार क्षेत्र को सहयोग करना चाहिए। पहुँच की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों और नियामकों को ऐसे नियम अवश्य बनाने चाहिए जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें और नेटवर्क निवेश को बढ़ावा दें। टर्न की (शुरु से आखिर तक) आधार पर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए पूर्ण पैमाने पर डिजाइन तैयार करने, स्थापना और सेवा पैकेज विकसित करने और परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को अत्यधिक विकसित करना होगा। सार्वजनिक ब्रॉडबैंड तक पहुँच एक डिजिटल रूप से विकसित देश के निर्माण की शुरुआत है जो नागरिकों के बीच तकनीकी विभाजन

का अंत करता है और नए व्यवसायों और विकास की संभावनाओं को आमंत्रित करता है।

मूल्य निर्धारण— उचित मूल्य पर सस्ती और व्यापक इंटरनेट पहुँच की सुविधा प्रदान करना नीति निर्माताओं का दायित्व है। अंततोगत्वा सरकारें एक वाणिज्यिक और नियामक वातावरण को प्रोत्साहित करने में तभी सक्षम हो सकती हैं जब निजी क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो। यह वित्तीय स्थिति को सक्षम कर सकता है और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला सकता है। सुलभ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी द्वारा आर्थिक विकास सुगम होता है। चीन की ई-कॉमर्स बिक्री का 40 प्रतिशत ऑफलाइन लेनदेन (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2013 b) का स्थान लेने के बजाय वृद्धिशील खपत को बढ़ावा देता है। लेकिन दुनिया भर में केवल 15 प्रतिशत लोग ब्रॉडबैंड इंटरनेट (विश्व बैंक 2016) का उपयोग करने में सक्षम हैं। सामर्थ्य की कमी महिलाओं पर प्रतिकूल रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है क्योंकि वे आमतौर पर कम धनराशि अर्जित करती हैं और अपनी खरीदारी पर उनका अधिकार कम होता है। मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा ने रचनात्मक मूल्य निर्धारण युक्तियों को जन्म दिया है। विशेष पैकेज, जिन्हें 'ज़ीरो-रेटेड कंटेंट' कहा जाता है, कुछ विषय-वस्तु या सेवाओं तक असीमित पहुँच की अनुमति देते हैं। कुछ का तर्क है कि ज़ीरो-रेटेड विषय-वस्तु इंटरनेट पहुँच को बढ़ा सकती है जबकि अन्य (भारतीय दूरसंचार नियामक और ट्राई सहित) ने इसके प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र-विशेष कर जैसाकि सिम कार्ड पंजीकरण के लिए होता है, मात्रा कम करके लागत बढ़ा सकते हैं, मांग को घटा सकते हैं और सार्वजनिक कोष में लाभांश कम कर सकते हैं।

डिजिटल समावेशन और मानव क्षमता का सृजन— इंटरनेट पहुँच हासिल करने में भाषा एक अवरोध पैदा करती है। खुद के लिए कंप्यूटर लेने या इंटरनेट का उपयोग करने की कम प्रवृत्ति अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने के कमज़ोर स्तर से जुड़ी है (क्वेस्ट 2016) इसके बावजूद आधे से अधिक वेब विषय-वस्तु अंग्रेज़ी में हैं और व्यापक स्वीकृति की कमी ने अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नामों (आईडीएन) (इयूआरआईडी, यूनेस्को 2016) की मांग को घटा दिया है।

लोगों के ऑनलाइन होने की संभावना तब कम होती है जब उनके द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में कोई उपयोगी विषय सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। महिलाओं के ऑनलाइन होने में दो प्रमुख बाधाएँ हैं— तकनीकी साक्षरता और आत्मविश्वास की कमी। सरकारों और अन्य हितधारकों को एसएमई (लघु और मध्यम आकार वाले उद्यमों) और महिलाओं द्वारा स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री तैयार करने के लिए उनकी क्षमता को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भावी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्थानीय विषय-वस्तु निर्माताओं और नीति निर्माताओं



को उन क्षमताओं से लैस करने के लिए आवश्यक हैं जिससे वे सूचना समाज में केवल उपभोक्ताओं के बजाय निर्माताओं के रूप में योगदान कर सकें और लाभ प्राप्त कर पाएं।

पहुँच को मापना—प्रभावी नीति प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए वर्तमान उच्च-स्तरीय जानकारी होना आवश्यक है। डिजिटल असमानताओं को हल करने के तरीके के बारे में विचारपूर्ण निर्णय लेने से सभी हितधारकों को लाभ हो सकता है। कितने लोग जुड़े हुए हैं, वे कैसे क्लिक कर रहे हैं और जुड़ने(कनेक्ट होने) के प्रभावों को जानने से मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों को लिंग के आधार पर इंटरनेट की पहुँच पर व्यवस्थित रूप से आँकड़े एकत्र करने चाहिए। एक समान कदम उठाने के लिए सरकारों को अधिक धन आवंटित करना चाहिए और संबंधित पक्षों के साथ सहयोग करना चाहिए।

ई-सरकार विकास सूचकांक (ईजीडीआई) देशों के लिए एक-दूसरे से सीखने, ई-सरकार में क्षमतावान क्षेत्रों और चुनौतियों की पहचान करने और इस क्षेत्र में उनकी नीतियों और युक्तियों को निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्किंग (मानक) और विकास साधन के रूप में कार्य करता है। नीचे दी गई तालिका संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण के अनुसार भारत के स्थान को दर्शाती है जिसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 193 थी।

भारत को ज्ञान-आधारित समाज और अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू कर रही है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन और सशक्तीकरण सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया जिससे डिजिटल डिवाइड पाटा जा सके। संक्षेप में, यह मिशन सुनिश्चित करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाएं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और देश में निवेश और रोजगार के अवसर और वैश्विक डिजिटल तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करें। डिजिटल इंडिया नामक इस व्यापक प्रयास में कई सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। सेवाओं की ई-क्रांति (इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी)



देश में विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है। ई-क्रांति का लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों के तहत ई-सरकार में मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) के पोर्टफोलियो को बढ़ाकर, गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (जीपीआर) को लागू करके, वर्कफ्लो को स्वचालित करके, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म को आरंभ करके और सेवाओं के एकीकरण पर जोर देकर ई-सरकारी सेवाओं में क्रांति लाना है। डिजिटल इंडिया के तहत कई अन्य परियोजनाओं/योजनाओं को लागू किया जा रहा है। माईगव (मेरी सरकार) का उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच एक संपर्क स्थापित करना है।

डिजिटल इंडिया ने प्रभावशाली तरीके से सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे लाभार्थी को काफी सेवाएं प्रदान करने में भी मदद की है। नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों में भारत शामिल हो गया है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

वर्ष	रैंक	ईजीडीआई सूचकांक मूल्य
2022	105वां	0.5883
2020	100वां	0.5964
2018	96वां	0.5669
2016	107वां	0.4637
2014	118वां	0.3834

स्रोत: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से सीएससी ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को डिजिटल सरकार और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सीएससी 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में देश भर में (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में) 5.31 लाख सीएससी कार्यरत हैं जिनमें से 4.20 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग): उमंग ऐप नागरिकों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए है। उमंग के द्वारा 22,000 से अधिक बिल भुगतान सेवाओं के साथ-साथ 1,570 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी): ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला और उप-जिला स्तरों पर लागू की गई है जिससे सभी नागरिकों को विभिन्न ई-सेवाएं जैसे प्रमाणपत्र (जन्म, मृत्यु, जाति, आय, और स्थानीय निवासी), पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा), चुनाव संबंधी, उपभोक्ता न्यायालय, राजस्व न्यायालय, भूमि रिकॉर्ड और वाणिज्यिक कर, कृषि, श्रम, रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि जैसे विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करके लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के 709 जिलों में 4,671 ई-सेवाएं शुरू की गई हैं।

डिजिटल लॉकर: यह सार्वजनिक दस्तावेजों की कागज़ रहित उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रहा है। डिजिटल लॉकर के 11.7

करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और 2,167 जारीकर्ता संगठनों से डिजिटल लॉकर के माध्यम से 532 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए हैं।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। यह 330 बैंकों के साथ एकीकृत है और जून 2022 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 586 करोड़ से अधिक के मासिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई।

को-विन: यह कोविड-19 के लिए पंजीकरण, अपॉइंटमेंट निर्धारण और टीकाकरण प्रमाणपत्रों के प्रबंधन के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। को-विन द्वारा 203 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराकों और 110 करोड़ पंजीकरणों की सुविधा प्रदान की गई है।

माईगव (मेरी सरकार): यह नागरिकों को सरकार से जोड़ने वाला मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। माईगव को 2.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

मेरी पहचान: मेरी पहचान नामक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन प्लेटफॉर्म को जुलाई 2022 में शुरू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुँच प्रदान की जा सके।

माईस्कीम: नागरिकों को पात्रता-आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए यह मंच जुलाई 2022 में आरंभ किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): 53 मंत्रालयों में 315 योजनाएं नागरिकों को आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पेशकश कर रही हैं। अब तक डीबीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए 24.3 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

दीक्षा: दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को देश के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है। इस पर 27 जुलाई, 2022 तक 7,633 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 15 करोड़ से अधिक दाखिले हो चुके हैं।

सरकार ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डेटा गवर्नेंस की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरसरी तौर पर उनका विवरण निम्नलिखित है:

ओपन सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म: गैर-व्यक्तिगत डेटा से सम्बंधित डेटा विनिमय की सुविधा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए खुले प्रारूप में सरकारी डेटा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 12,800 से अधिक कैटलॉग में 5.65 लाख से अधिक डेटासेट जारी किए गए हैं। प्लेटफॉर्म से 93.5 लाख डाउनलोड किए गए हैं।

एपीआई सेतु: सभी प्रणालियों में डेटा विनिमय को सरल बनाने के लिए एपीआई सेतु नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस पर 2100 से अधिक एपीआई और 1000 उपयोगकर्ता





राज्यों द्वारा डेटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक पद्धतियों का उपयोग इस दिशा में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि देश में ई-प्रशासन को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सभी राज्यों और सेवाओं में निरंतर विकास अत्यावश्यक है।

2030 तक दुनिया को बदलने और सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के कामकाज में एक आमूल परिवर्तन आवश्यक होगा। यह पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि सरकार कैसे देश के सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करती है और अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ नागरिक समाज और व्यापार

संगठन उपलब्ध हैं। अपनी डिजिटल सरकार के लिए भारत की परिकल्पना की पूरी क्षमता को साकार करने, डेटा-आधारित शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने और डेटा-आधारित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। इस नीति को अभी भी संशोधित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 मई, 2022 को राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे को सार्वजनिक राय के लिए उपलब्ध कराया है।

निष्कर्ष

सरकार के सभी स्तरों को ई-गवर्नेंस द्वारा बदलने की आवश्यकता है लेकिन स्थानीय सरकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे जनता के सबसे करीब हैं और कई लोगों के लिए संपर्क के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ होना चाहिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत जैसे देशों के लिए जिनके नागरिक विभिन्न भाषायी मूल के हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-सरकार अत्यधिक लाभदायक है। वर्तमान में देश में कई सफल परियोजनाएं चल रही हैं लेकिन उनमें से चुनिंदा राष्ट्रीय स्तर की हैं। प्रभावी मॉडलों को देश भर में समान रूप से पुनः लागू करना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार अनेक अनुप्रयोगों के असंगत स्वरूप पर ध्यान देना, एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए उनका एकीकरण और

क्षेत्र को अपने साथ जोड़ती है। आईसीटी और ई-सरकार की बदौलत सतत विकास की प्राप्ति में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। वैश्विक अंतरसंबंध (ग्लोबल इंटरकनेक्शन) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास में मानव प्रगति में तेजी लाने, डिजिटल डिवाइड को पाटने और विभिन्न उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले ज्ञानवान समाज के निर्माण की क्षमता है।

नए और बड़े डिजिटल डिवाइड के जोखिमों को रोकने के लिए डिजिटल युग द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक सूचना, प्रौद्योगिकी और जानकारी का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकारों को अनुसंधान और विकास में व्यापार क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए विशेष रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंतर के समाधान में ताकि नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से समाज पर पुरजोर प्रभाव पड़े।

डिजिटल क्रांति में तकनीकी प्रगति शामिल होगी लेकिन इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होगी जो ग्राहकों को भरोसेमंद, तेज, सुलभ और मनपसंद सेवाएं प्रदान करे। कई देशों के सार्वजनिक क्षेत्र इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। पारम्परिक तरीके लागू नहीं हो सकते हैं इसलिए युक्तिपूर्ण सोच, कानून और विनियमन में एक आमूल बदलाव आवश्यक हो सकता है। यद्यपि ई-सरकार ऑनलाइन सेवाओं को बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सरकार सामाजिक रचनात्मकता और लचीलेपन को अपना कर प्रशासन को कैसे बदल सकती है।

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक



जनवरी 2023 - सहकारिता



ई गवर्नेस से साकार होगा स्मार्ट विलेज का स्वप्न

—डा. हरवीन कौर

21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आई कोरोना महामारी ने ग्रामीण जनजीवन की उपयोगिता को न सिर्फ सिद्ध किया बल्कि भावी पीढ़ी के जीवन को समृद्ध बनाने में समावेशी और दक्षतापूर्ण गाँव की महत्ता को पुनः स्थापित किया है। इसके लिए हमें गाँव में हर वह सुविधा मुहैया करानी होगी, जो सिर्फ शहरों तक सीमित रह गई हैं। इस दिशा में स्मार्ट विलेज नवीन संकल्पना के रूप में समाधान परक राह दिखाता है। गाँव के विकास की यह वह संकल्पना है जो तरक्की के मानकों को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और ई-गवर्नेस के ज़रिए टिकाऊ आवरण देती है। स्मार्ट विलेज आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के साथ हर उस सुविधा से युक्त होते हैं, जो ग्रामीण जन-जीवन को समृद्ध बनाने की प्राथमिक ज़रूरत हैं।

पिछले कुछ सालों में शहरीकरण की दर अप्रत्याशित दर से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शहरी आबादी 2035 में 67.54 करोड़ हो जाएगी। यह अनुपात चीन के बाद सबसे अधिक होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। वहीं 31 फीसदी लोग शहरों में रह रहे थे। देश में आंतरिक व घरेलू पलायन के पीछे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सबसे अहम उत्प्रेरक हैं। इससे एक ओर जहाँ शहरों का विस्तार होता गया, वहीं गाँव विकास की गति में पीछे छूटते गए। गाँव जो कभी आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ थे, वह धीरे-धीरे पलायन, गरीबी, बेरोज़गारी और असुविधा के प्रतीक बनते बन गए।

21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आई कोरोना महामारी ने ग्रामीण जनजीवन की उपयोगिता को न सिर्फ सिद्ध किया बल्कि भावी पीढ़ी के जीवन को समृद्ध बनाने में समावेशी और दक्षतापूर्ण गाँव की महत्ता को पुनः स्थापित किया है। इसके लिए हमें गाँव में हर वह सुविधा मुहैया करानी होगी, जो सिर्फ शहरों तक सीमित रह गई हैं। इस दिशा में स्मार्ट विलेज नवीन संकल्पना के रूप में समाधान परक राह दिखाता है। पश्चिम और यूरोपीय देशों में ग्रामीण विकास की श्रेष्ठ नीतिगत पहल में शामिल स्मार्ट विलेज की अवधारणा भारत में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सामने आई है। 27 अगस्त, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ। इससे तकनीक और नवाचार के ज़रिए शहरों को अत्याधुनिक टिकाऊ अवसंरचना प्राप्त हुई। शहरों की समावेशी विकास की इस यात्रा से मिले अनुभव से 'स्मार्ट विलेज' की संकल्पना का विकास हुआ। गाँव के विकास की यह वह संकल्पना है जो तरक्की के मानकों को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और ई-गवर्नेस के ज़रिए टिकाऊ आवरण देती है। स्मार्ट विलेज आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के साथ हर

उस सुविधा से युक्त होते हैं, जो ग्रामीण जन-जीवन को समृद्ध बनाने की प्राथमिक ज़रूरत हैं।

आत्मा गाँव की, सुविधाएं शहर की

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) शुरू किया गया। इस मिशन के ध्येय वाक्य 'आत्मा गाँव की, सुविधाएं शहर की' इसके उद्देश्य को स्पष्ट

स्मार्ट विलेज के विभिन्न स्तंभ



लेखिका पर्यावरण और संवहनीयता विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल: dr.harveen@outlook.com



वाले लोगों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आदर्श ग्राम योजना में स्मार्ट विलेज

स्मार्ट विलेज की संकल्पना केंद्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) में भी साकार होती दिखती है। भारतीय राजनेता जयप्रकाश नारायण की वर्षगांठ पर 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना शुरू की गई। एसएजीवाई में आठ गतिविधियों 1. व्यक्तिगत विकास (स्वस्थ आदतें), 2. मानवीय विकास, 3. सामाजिक विकास (हर तबके का विकास), 4. आर्थिक विकास (कृषि एवं

ग्रामीण उद्योग), 5. पर्यावरणीय विकास 6. बुनियादी सुविधाएं व सेवाएं (घर, पेयजल), 7. सामाजिक सुरक्षा (बीमा इत्यादि), 8 सुशासन (ई-गवर्नेंस) को प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना में 127 केंद्रीय और करता है। एसपीएमआरएम के योजना परिपत्र में 'स्मार्ट विलेज' शब्द का उल्लेख होने के साथ ही इस पर अंतर-मंत्रालयी कार्य शुरू हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस नीतिगत संकल्पना को विभिन्न राज्य सरकारें सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही हैं। राज्यों के स्तर पर 'स्मार्ट विलेज' की अवधारणा को सरकार के संबंधित विभाग स्वयं सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं या फिर निजी क्षेत्र की सहभागिता से इसे नया आयाम दिया जा रहा है। एसपीएमआरएम का लक्ष्य गाँव के ऐसे समूह खड़े करना है जहाँ ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को कायम रखते हुए, वहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हों। आज देश में 'स्मार्ट विलेज' की अवधारणा पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर ग्रामीण विकास को नई ऊंचाई दी जा रही है।

ग्रामीण विकास को नई ऊंचाई दी जा रही है। एसपीएमआरएम के अंतर्गत मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 की आबादी के रुर्बन क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में आबादी की सीमा 5 हजार से 15 हजार है। इस मिशन के ज़रिए ग्रामीण भारत को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं से युक्त बनाने पर कार्य किया जा रहा है। मिशन के तहत 300 रुर्बन क्लस्टर बनकर तैयार होंगे। इससे शहर और गाँव के बीच विकास के मानकों पर बनी खाई कम हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रुर्बन मिशन की शुरुआत के दौरान दिए गए संबोधन में कहा था कि "यह बात सच है कि लोग बहुत तेजी से गाँव से पलायन कर रहे हैं। वह अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ज़रूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इंटरनेट और मनोरंजन के आधुनिक साधनों के लिए शहरों का रुख करते हैं। रुर्बन मिशन के ज़रिए केंद्र सरकार अब ग्रामीण इलाकों में हर वह सुविधा मुहैया करा रही है, जो सिर्फ शहरों की पहचान हुआ करती थी।" ऐसी सुविधाएं जिनके लिए गाँव में रहने

क्यूआर कोड से स्मार्ट विलेज में कचरा प्रबंधन

केरल के अलपुझा ज़िले की अरयाड ग्राम पंचायत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के ज़रिए लगभग 40 लाख रुपये सालाना की कमाई करती है। पंचायत ने 2017 में लगभग एक करोड़ रुपये का निवेश कर प्लास्टिक कलेक्शन, रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी और परिवहन व्यवस्था खड़ी की। इस क्रम में 36 ग्रीन फोर्स वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जिन्हें 6 हजार रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। यहाँ महिला वॉलंटियर 6 किमी के दायरे में फैली ग्राम पंचायत के 9 हजार घरों से प्लास्टिक इकट्ठा कर प्लासुकुलम (प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर) में जमा करती हैं। ग्राम पंचायत के हर घर को क्यूआर कोड लगा थैला और डस्टबिन दिया गया है। वॉलंटियर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते समय उसकी मात्रा और गुणवत्ता को स्मार्ट फोन के ज़रिए मौक़े पर ही सिस्टम में अपडेट करती हैं। वॉलंटियर को मुहैया कराए गए स्मार्ट फोन घरों में लगे डस्टबिन, थैले में लगे क्यूआर कोड और केंद्रीयकृत वेब मॉनीटरिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। इससे वेस्ट मैनेजमेंट की रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाती है। उदाहरण के लिए किस घर में कितना प्लास्टिक कचरा है या कहां विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आदि। इस डेटा के ज़रिए कचरा प्रबंधन की योजना तैयार की जाती है। घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक घर से 30 रुपये और संस्थान से सौ रुपये शुल्क लिया जाता है।

1806 राज्य योजनाओं का संकलन किया है। 3032 ग्राम पंचायत सांसद आदर्श ग्राम योजना के ज़रिए (नवंबर 2022 तक) आदर्श और स्मार्ट विलेज के रूप में विकास के नए प्रतीक खड़े कर रही हैं।

स्मार्ट विलेज के सफल प्रयोगों ने दिखाई राह

राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित धनौरा गाँव में प्रवेश करते ही आपको हरे-भरे पेड़, सौर ऊर्जा से जगमग बिजली के खंभे, कौशल विकास केंद्र, मेडिटेशन सेंटर, सार्वजनिक पुस्तकालय, साफ-सुथरी सड़कें और रंग-रोगन युक्त घर देखने को मिलेंगे। दो हज़ार की आबादी वाला धनौरा गाँव आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का पहला गाँव है। देश के इस पहले स्मार्ट विलेज में घरों और स्कूलों में आधुनिक शौचालय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान, कंप्यूटर लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के जबेरा ब्लॉक का पड़रिया थोवन गाँव स्मार्ट विलेज की संकल्पना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी से मूर्त रूप दे चुका है। इस गाँव की हर दीवार स्वच्छता का संदेश देती है। पूरे गाँव की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गाँव ओडीएफ प्लस श्रेणी में है। गाँव में प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। यहां एक-एक मकान और उसके लोगों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, गाँव का पूरा नक्शा अलग से तैयार करवाया गया है। तालाब, गोचर भूमि, कृषि योग्य ज़मीन, नहर, सड़कें एवं जमीन से जुड़ी जानकारी सिर्फ एक लिंक से प्राप्त की जा सकती है।

स्मार्ट विलेज की पहचान बनेंगे ड्रोन

ड्रोन नियम 2021 के ज़रिए कृषि क्षेत्र में ड्रोन के अनुप्रयोग के लिए नियामकीय व्यवस्था खड़ी की जा रही है। इससे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित उपकरणों की हलचल बढ़ेगी। अब तक ड्रोन को देश की सरहद में निगरानी तंत्र के नज़रिये से ही उपयोगी माना जाता था। पहली बार गाँव में ड्रोन नए कृषि औज़ार व उपकरण के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। पूरे देश को ड्रोन उड़ाने के लिए तीन जोन में बांटा गया है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए जिस तरह एयर ट्राफिक कंट्रोल से पलाई पाथ लेना होता है, उसी तरह ड्रोन उड़ाने के लिए तय साफ्टवेयर से मंजूरी लेनी होगी। देश में किसानों की आय बढ़ाने के साथ खाद्यान्न की पोषकता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। मौसम में होने वाले अप्रत्याशित बदलावों ने किसानों के संकट को और बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में तकनीक के विभिन्न माध्यमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के अनुप्रयोग कृषि व्यवस्था में नई संभावनाएं लेकर आए हैं।

राज्यों ने बढ़ाया कदम

स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर देश की अलग-अलग राज्य सरकारें तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत ज़िला स्तर पर श्रेष्ठ स्मार्ट विलेज को 50 लाख रुपये अतिरिक्त पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। इस योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए 2016 में पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार 400 गाँव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर रही है। इस गाँव में लोगों को हाथ धोने से लेकर बातचीत के तौर-तरीके का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्मार्ट विलेज के लिए चयनित गाँवों में सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति और बिजली आपूर्ति पर काम होगा। इनमें सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, हॉर्टिकल्चर, लैंड स्केपिंग, खेल के मैदान, सौर ऊर्जा संरक्षण, तालाब का निर्माण, स्ट्रीट फर्नीचर, कचरा प्रबंधन और कौशल विकास की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। आंध्रप्रदेश सरकार ने 2017 में स्मार्ट विलेज की स्थापना को लेकर 7 स्टार फॉर्मूले को मंजूरी दी है। इनमें एलईडी बल्बों से हर घर में बिजली आपूर्ति, शत-प्रतिशत गैस कनेक्शन, पेयजल, शौचालय, केंचुआ खाद बनाने की व्यवस्था व जल निकासी व्यवस्था, आंगनवाड़ी में खेल मैदान, इंटरनेट सुविधाएं, तालाब और उसके किनारे पौधारोपण के साथ ही हर परिवार की 10 हज़ार रुपये न्यूनतम आमदनी तय की गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों ने 'स्मार्ट विलेज' की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है।

आधुनिक तकनीक से कदमताल करते स्मार्ट विलेज

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी: स्मार्ट विलेज की स्थापना में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित डिजिटल उपकरणों (स्मार्ट कैमरा, वेब आधारित सेंसर, ड्रोन और रोबोट) की सबसे अहम भूमिका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाएं स्मार्ट विलेज में नागरिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आधार बन चुकी हैं। आईसीटी तकनीक में डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जाती है। इससे नागरिक सेवाओं को बहुत ही कम समय में उसके हितग्राही तक पहुँचाया जाता है। यह सेवाओं में पारदर्शिता लाने का सबसे कारगर माध्यम है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स: इंटरनेट ऑफ थिंग्स वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए डिजिटल उपकरण, मशीनरी और अन्य डिवाइज़ को मानव संसाधन से संबद्ध करता है। यह स्मार्ट विलेज में कम लागत पर डिजिटल अवसंरचना खड़ी करने में सहायक है।

रेडियो फ़्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (RFID): स्मार्ट विलेज द्वारा अपनाई जाने वाली एक अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी रेडियो फ़्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन तकनीक है। यह संसाधनों की दक्षता बढ़ाते हुए ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस को नई ऊंचाई दे रहा है। आरएफआईडी तकनीक से वस्तुओं और उपकरण की पहचान

(टैगिंग) तय की जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित यह टैग सूचनाओं को एकत्र करने में मददगार है। आरएफआईडी टैग पानी की टंकियों, डस्टबिन से लेकर वाहनों की लोकेशन और उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं।

जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस): जीआईएस तकनीक में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सम्मिलित अनुप्रयोग से जियोग्राफिकल डाटा एकत्र किया जाता है। ज़रूरत के मुताबिक इस डेटा का कलेक्शन और विश्लेषण होता है। माइक्रो लेवल पर डिजिटलाइज्ड मैपिंग से सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा, जल निकासी, बिजली आपूर्ति आदि को सुदृढ़ किया जाता है। गाँव के लिए योजना बनाते समय जीआईएस सेवाओं के अनुप्रयोग को प्राथमिकता देकर हम जोखिम को कम करते हैं। गाँव की आधारभूत संरचना को टिकाऊ बनाने के लिए एक बार वस्तुओं, संसाधनों की मैपिंग होने के बाद स्थानीय ज़रूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार करने और क्रियान्वित करने में जीआईएस सहायक हैं।

जीपीएस आधारित सेवाएं: जीपीएस रेडियो नेविगेशन सिस्टम पर आधारित तकनीक है। जीपीएस सेवाओं के जरिए पशुधन तथा अन्य संसाधनों की गतिशीलता का पता लगाया जा सकता है।

रिमोट सेंसिंग: इस तकनीक में विभिन्न वस्तुओं से जुड़े तथ्य उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना जुटाए जाते हैं। सेटेलाइट इमेज, विजुअलाइज़ेशन, मैप जनरेशन के जरिए स्मार्ट विलेज में मिट्टी की नमी, खेतों का वर्गीकरण करने में मदद मिलती है।

वायरलेस सेंसर नेटवर्क (डब्ल्यूएसएन)— वायरलेस सेंसर नेटवर्क बहुत सारे सेंसर का एक समूह है। इसमें हर सेंसर अलग-अलग स्थान में डाटा की मॉनीटरिंग करता है। यह सेंसर


डाटा को सेंट्रल लोकेशन में भेजता है। डब्ल्यूएसएन पर्यावरण, परिशुद्ध खेती से जुड़ी गतिविधियों में काफी सहायक होता है। स्मार्ट विलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के क्रम में हेल्थ मॉनीटरिंग सिस्टम को डब्ल्यूएसएन मज़बूती देता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग: यह एक तरह से ज़रूरत के मुताबिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में सहकारी बैंकों की अहम भूमिका है। स्मार्ट विलेज में स्थित कियोस्क एवं सहकारी बैंक क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा का उपयोग करते हुए एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (एएसपी) मॉडल का उपयोग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर साझाकरण किया जाता है। स्मार्ट विलेज में आजीविका प्रबंधन के साथ कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज से लेकर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेष उपयोगिता सिद्ध हुई है।

स्मार्ट विलेज : सामाजिक और आर्थिक विकास के मानक

ई-गवर्नेंस: योजनाओं तक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर संवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति और पारदर्शिता सुशासन के प्रमुख स्तंभ हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने के साथ देश में ई-गवर्नेंस ने ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। सिर्फ एक क्लिक पर देश के दूरस्थ क्षेत्र में बैठे लोगों को अपने ज़मीन के रिकॉर्ड, बिलों के भुगतान, बैंक खाता, पहचान-पत्र बनवाने, सरकारी योजनाओं में पंजीयन, ऑनलाइन एफआईआर जैसी अनेक सुविधाएं मिल रही हैं। देशभर में ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक पहुँच चुके कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)

स्मार्ट विलेज में तकनीकी अनुप्रयोग



चक्रीय अर्थव्यवस्था

चक्रीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिकता क्षेत्र	संबंधित मंत्रालय
नगर पालिका जनित ठोस व तरल अपशिष्ट	आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय
स्क्रैप मेटल (फेरस एंड नॉन फेरस)	स्टील मंत्रालय
ई-कचरा	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
लीथियम आयन बैटरी	नीति आयोग
सोलर पैनल	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
जिप्सम	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग
विषैला एवं जहरीला औद्योगिक कचरा	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
यूज्ड ऑयल वेस्ट	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कृषि अपशिष्ट	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
टायर एंड रबिंग रिसाइकिलिंग	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग
एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी)	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

ने स्मार्ट और आदर्श गाँव की व्यवस्था को और मजबूती दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुताबिक सीएससी आज 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं की घर बैठे जानकारी प्रदान करने के लिए ई-सूचनालय, कियोस्क, ई-पोस्ट सर्विस डाक विभाग द्वारा शुरु की गई है। त्वरित ई-पोस्ट सेवाओं से देश के डेढ़ लाख से अधिक डाकघरों के ज़रिए लोगों को संदेश व स्कैन की गई फोटो भेजने व प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम: देश में जोत के छोटे आकार, पर्यावरणीय बदलावों के बीच फसलों की पैदावार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। 'स्मार्ट विलेज' की अवधारणा की सफलता कृषि आधारित आजीविकाओं की मजबूती पर निर्भर है। सिंचाई की आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों, जैविक खाद के उत्पादन, मृदा परीक्षण, पशुधन के विकास से लेकर बाज़ार की स्थितियों के आकलन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक की विशेष भूमिका है। स्वचालित तकनीक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृषि गतिविधियों से खेती की लागत कम होती है। मौसम का पूर्वानुमान, नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग, ड्रोन तकनीक से उर्वरक का छिड़काव संसाधनों की दक्षता को बढ़ाता है। यूरोपीय देशों में स्थित स्मार्ट विलेज में तापमान, जल स्तर, नमी आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर उपयोग में लाए जाते हैं। इन डिवाइज़ों से प्राप्त सूचनाएं सीधे किसान के मोबाइल फोन तक पहुंचती हैं। अब सिंचाई की ऐसी ड्रिप तकनीक का विकास किया जा चुका है जो जल स्तर कम होने पर स्वचालित रूप से जल निकासी तय करती हैं। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो पंखे स्वयं चालू हो जाते हैं। स्मार्ट विलेज में कृषि गतिविधियों के दक्षता उन्नयन के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। इसके

लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे 37 सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा ग्रामीण भारत केंद्रित कई कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

डिजिटल हुआ कचरा प्रबंधन: किसी भी स्मार्ट और आदर्श गाँव में कचरा प्रबंधन प्राथमिक ज़रूरत है। यदि लोगों के आसपास स्वच्छता रहेगी तो इसका सीधा असर उनकी उत्पादकता, स्वास्थ्य और सामाजिक व आर्थिक प्रगति में नज़र आता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर युक्त स्मार्ट डस्टबिन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यह वायरलेस सेंसर डस्टबिन स्टेटस प्रदान करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म के ज़रिए तत्कालिक डाटा प्रदान करता है। खास बात

चक्रीय अर्थव्यवस्था को आदर्श ग्राम में मजबूती

आदर्श ग्राम का एक प्रमुख आधार पर्यावरण अनुकूल विकास है। इससे गाँव के विकास को टिकाऊ बनाने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार की विभिन्न नीतिगत पहल से ग्रामीण भारत चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के साथ एकीकृत हो रहा है— प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई-कचरा प्रबंधन नियम, कंस्ट्रक्शन एंड डिमॉलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स, मेटल रिसाइकिलिंग पॉलिसी आदि। नीति आयोग ने स्थापना के समय से चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई पहल को प्रोत्साहित किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की 11 समितियां बनाई गई हैं। यह समितियां अलग-अलग क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के उपायों पर काम करती हैं।

कुपोषण से निजात की राह: न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज

ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवंबर 2021 से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के 75 गाँवों में कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए ऑल इंडिया कॉर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर (एआईसीआरपी-डब्ल्यूआईए) के नेटवर्क से 75 गाँवों को जोड़ा गया है। इस पहल के तहत सभी एआईसीआरपी केंद्रों और आईसीएआर- सीआईडब्ल्यूए (सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर वूमेन इन एग्रीकल्चर) की ओर से कुल 75 गाँवों को गोद लिया गया है।



न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग में कुपोषण को खत्म करना है। कुपोषण मुक्त से पोषण युक्त गाँव बनाने के लिए न्यूट्री-विलेज, न्यूट्री फूड, न्यूट्री डाइट और न्यूट्री थाली को एकीकृत किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में पोषण को लेकर जागरूकता, शिक्षा और बदलाव को बढ़ावा देना शामिल है।

ओडिशा के पुरी, खोरधा, कटक और जगतपुरसिंह, बिहार के समस्तीपुर और मुज़फ्फरपुर, असम में जोरहाट, मेघालय में गारोहिल्स, राजस्थान के उदयपुर, महाराष्ट्र के परभणी, पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के फतेहाबाद, हिस्सार, अम्बाला, उत्तराखंड के नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, कर्नाटक के बंगलुरु, धारवाड़ और बेलगाम, तमिलनाडु के मदुरई जिले में न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज के प्रयोग सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

यह पहल महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज देश में 1975 से शुरू एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) के साथ ही आंगनवाड़ी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017), पोषण अभियान (2018) को उसके वास्तविक हितग्राहियों से संबद्ध करते हैं। इसी क्रम में न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज मोटे अनाज की हमारी खाद्य प्रणाली में उपयोगिता को पुनर्स्थापित करेगा।

2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के दौरान बाजरा जैसे पोषक मोटे अनाजों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी शृंखला में मोटे अनाजों के उत्पादन के साथ-साथ इनको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाएगा।

यह है कि ये सेंसर सौर बिजली से भी संचालित होते हैं। कचरा निस्तारण में इस्तेमाल होने वाले वाहन जीपीएस तकनीक से कचरे की मौजूदगी वाली स्थिति को आसानी से ट्रैक करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में 'स्मार्ट विलेज' में जीपीएस तकनीक से कचरा प्रबंधन को कारगर बनाया जा रहा है। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में अब कचरा प्रबंधन की निगरानी को केंद्रीयकृत किया गया है।

जल प्रबंधन के स्मार्ट तरीके: भविष्य में जल संकट की भयावहता का आकलन आज ही किया जा सकता है। देश का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो भूमिगत जल स्तर में गिरावट तथा पानी की शुद्धता की चुनौती से न जूझ रहा हो। ऐसे में जल दक्षता स्मार्ट विलेज का एक अहम घटक बनकर उभरी है। पंजाब सरकार स्मार्ट विलेज कैंपेन के अंतर्गत वॉटर हार्वेस्टिंग को मनरेगा के ज़रिए प्रोत्साहित कर रही है।

गाँव तक पहुँचा हेल्थ मॉनीटरिंग सिस्टम: जीवनशैली में बदलाव के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ मानवीय जीवन में प्रवेश कर गई हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के साथ स्वास्थ्य

सेवाओं और चिकित्सा ज़रूरतों के बीच अंतर काफी बढ़ गया है। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई जा सकती हैं। स्मार्ट विलेज स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हेल्थ पोर्टल, ई-ओपीडी (संजीवनी), हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचआईएस), टेलीमेडिसिन, ई-फॉर्मसी और स्वास्थ्य पहचान-पत्र (हेल्थ आईडी) आधारित सेवाओं से खुद को एकीकृत कर रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य सही मायने में ग्रामीण भारत तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। यह मरीज के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रखने में सहायक है।

स्मार्ट एनर्जी मॉनीटरिंग सिस्टम: ऊर्जा दक्षता के लिए बिजली की बचत एक महत्वपूर्ण कारक है। ऊर्जा निगरानी तंत्र को मज़बूत कर न सिर्फ बिजली की बचत की जा सकती है बल्कि उसका बेहतर उपयोग किया जाता है। बिजली के स्मार्ट मीटर हो या फिर पीएनजी की आपूर्ति, स्मार्ट विलेज ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सफलतम कहानियाँ गढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार ऑनलाइन

माध्यम से लोगों को घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की सुविधा प्रदान कर रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए शुरू की गई ऑनलाइन पोर्टल पंजीयन व्यवस्था है। गाँव हो या शहर <https://solarrooftop.gov.in/> पर जाकर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। सोलर पैनल व्यक्तिगत उपयोग के लिए तो सौर बिजली पैदा करते ही हैं, अतिरिक्त सौर बिजली सरकारी एवं निजी बिजली कंपनियों को बेचने की सुविधा भी दी गई है। सरकार ने सौर ऊर्जा से तैयार बिजली को मुख्य ग्रिड तक पहुँचाने के लिए हरित ऊर्जा ग्रिड की स्थापना की है।

स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम: स्मार्ट विलेज के प्रारंभिक आधारभूत स्तंभ में डिजिटल लर्निंग अहम् है। स्मार्ट एजुकेशन के अंतर्गत शैक्षणिक तौर-तरीके बदल रहे हैं। वीडियो गेमिंग के जरिए खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट के जरिए कक्षाएं संचालित की जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक गुणवत्ता लाने के लिए जीएसएम मॉड्यूल जैसे मोबाइल डिवाइज़, टेबलेट और लैपटॉप तथा पीसी उपयोग में लाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नवीन शिक्षण प्रारूपों में 'लर्नर फेसिंग ई-कंटेंट' विकसित किया जा रहा है। इससे एक ही शैक्षणिक सामग्री को ऑनलाइन, टीवी और रेडियो पर एक साथ उपलब्ध कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की घोषणा की है। यह स्मार्ट विलेज तक डिजिटल शैक्षणिक अवसंरचना की पहुँच आसान बनाएगा।

स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम: किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा



अनिवार्य शर्त है। समय के साथ बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए ट्रैफिक संकेतकों से लेकर सर्विलांस के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत किया जाता है। स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम का प्रयोग कर स्मार्ट विलेज को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ग्रामीण इलाकों से गुज़रने वाली सड़कों और चौराहों पर सर्विलांस कैमरे से निगरानी बढ़ा रही हैं। इसी तरह, वाइड रेंज सर्विलांस कैमरे के जरिए अधिकतम दूरी तक संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलती है। इन डिवाइस से मिलने वाले डेटा का उपयोग स्थानीय पुलिस, पीसीआर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में करती है।

स्मार्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सिस्टम: स्मार्ट और आदर्श गाँव पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'लाइफ' (LIFE)* मिशन का उद्देश्य पारिस्थितिकी अनुकूलन, आजीविका सुरक्षा के साथ समावेशी विकास है। 2070 तक देश को शून्य कार्बन उत्सर्जक श्रेणी में ले जाने में जलवायु न्याय, सामाजिकता और सुशासन (ईएसजी) के मानकों पर खरे आधुनिक गाँव की महती भूमिका होगी।

ग्रामीण विकास की वहनीयता में तकनीक आधारित समाधान एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं। ज्ञान और नवाचार के अनुप्रयोगों पर विकसित स्मार्ट गाँव आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से मानवीय जीवन को दक्षता प्रदान करते हैं। गाँव, खेत और खलिहान की समृद्धि के यह आधुनिक स्मारक शहरीकरण की चुनौतियों से भी निजात दिला रहे हैं।



ई-गवर्नेस से एक नए युग की शुरुआत

—विजन कुमार पाण्डेय

ई-गवर्नेस सेवाएं भारत में गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेस उपायों की सफलता काफी हद तक डिजिटल साक्षरता और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और निकट भविष्य में 5-जी तकनीक का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ई-गवर्नेस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की भी एक बड़ी भूमिका है। यह न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों के सृजन में भी मदद करता है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

भारत एक शक्तिशाली देश बनने की राह पर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश की विकास दर में किस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार इस दिशा में कई सारे काम कर रही है। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश के साथ नागरिकों की भी तरक्की हो सके। इतना ही नहीं, सरकार अपने सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज करने के तौर-तरीके बदलने में लगी हुई है। साथ ही, काम की रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है। एक समय था जब सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए लोगों को कई हफ्तों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन डिजिटल तकनीक से स्थिति में काफी बदलाव आया है और देश में ई-गवर्नेस की मदद से सरकारी कामों में खूब तेजी आई है।

ई-गवर्नेस और उसकी उत्पत्ति

इंटरनेट के ज़रिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई-गवर्नेस कहा जाता है। भारत में ई-गवर्नेस की उत्पत्ति 1970 के दशक में चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई थी। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेस की दिशा में पहला बड़ा कदम था जिसमें 'सूचना' और 'संचार' पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए "जिला सूचना प्रणाली" कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET (राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क) एक क्रांतिकारी कदम था।

दरअसल ई-गवर्नेस से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के ज़रिए मुहैया कराई जाती हैं। वहीं अगर आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के ज़रिए भरते हैं

तो यह भी आप ई-गवर्नेस के चलते ही कर पाते हैं। ई-गवर्नेस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस है। इस शब्द में 'ई' शब्द का मतलब उन इलेक्ट्रॉनिक सामानों से है जो कि बिजली की मदद से चलती हैं जैसे कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप आदि। वहीं गवर्नेस को हिंदी में 'प्रशासन' कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी के लिए नियम और मानदंड बनाना और ये सुनिश्चित करना की वो अच्छे से कार्य करें। सरकार ई-प्रशासन के ज़रिए सभी वर्गों

सबका साथ,
सबको न्याय

सभी को
ऑनलाइन मुफ्त
कानूनी सेवाएं

1 लाख ग्राम
पंचायतों में सेवाएं
कॉमन सर्विस
सेंटर में उपलब्ध

पिछले 5 वर्षों में
20 लाख से अधिक
जरूरतमंद हुए
लाभान्वित

तंत्रितों तक टेली-ला
सेवा की पहुंच

डिजिटल इंडिया

सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत

लेखक प्राचार्य हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : vijankumarpandey@gmail.com

की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग कर रही है। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-जनमत संग्रह आदि शामिल हैं।

उद्देश्य

- नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना।
- **सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना**— आमतौर पर सरकार लोगों के प्रश्नों और समस्याओं का जवाब देने में बहुत समय लेती है। वहीं ई-प्रशासन का उद्देश्य इन जवाब देने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को कम करना भी है।
- **लोगों को डिजिटल बनाना**— गवर्नेंस का जो अगला उद्देश्य है, वो है लोगों को डिजिटल बनाना। ई-गवर्नेंस इस्तेमाल करने के लिए लोगों को डिजिटल दुनिया से जुड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख सकेंगे।
- पारदर्शिता और जवाबदेही।
- सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
- शासन दक्षता में सुधार लाना।
- व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार लाना।

ई-गवर्नेंस के मुख्य स्तंभ

- लोग
- प्रक्रिया
- प्रौद्योगिकी
- संसाधन



ई-गवर्नेंस का फायदा ना सिर्फ नागरिकों को हो रहा है बल्कि सरकार भी ई-गवर्नेंस की मदद से राज्य सरकारों से संपर्क कर सकती है। इसी तरह इसके ज़रिए कर्मचारी भी सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

ई-गवर्नेंस में सहभागिता की चार श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

सरकार से नागरिक(G2C)

- यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी शृंखला के कुशल वितरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- यह सरकारी सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता का विस्तार

करता है तथा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक अनुकूल बनाना है।

उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपनी किसी बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वो व्यक्ति बिना बीमा पॉलिसी के दफ्तर जाकर अपना ये कार्य कर सकता है। इसी तरह, कोई भी व्यक्ति अपना आयकर, पानी का बिल आदि इन विभागों में बिना जाए जमा करवा सकता है।

सरकार से व्यवसाय (G2B)

- इसके अंतर्गत देश के व्यापारियों को ई-गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा के अंतर्गत व्यापारी घर पर बैठे ही कई सरकारी कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, सरकार द्वारा व्यापारों के लिए चलाई गई किसी भी योजना की जानकारी, वैट के लिए पंजीकरण करवाना इत्यादि। ऐसा करने से व्यापारों के समय की बचत होती है।
- यह व्यापार समुदाय को ई-गवर्नेंस टूल का उपयोग करके सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य लालफीताशाही को खत्म करना है जिससे समय की बचत होगी और परिचालन लागत कम होगी। यह सरकार के साथ व्यवहार करते समय एक अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल भी बनाएगा।
- यह लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में मदद करती है।

सरकार से सरकार तक (G2G)

- यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध संपर्क में सक्षम बनाता है। इस तरह की बातचीत सरकार के भीतर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो सकती है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।

उदाहरण: अगर एक राज्य में किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, तो उस अपराधी के बारे में पुलिस सारी जानकारी एक सिस्टम में डाल देती है। वहीं कल को किसी अन्य राज्य सरकार को उस अपराधी के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो वो इंटरनेट के ज़रिए जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके ज़रिए देश के हर पुलिस स्टेशन के अपराधियों के रिकॉर्ड एक जगह दर्ज हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह, भारत सरकार भी अन्य राज्य की सरकारों से संपर्क कर सकती है। अगर भारत सरकार कोई जानकारी राज्यों को देना चाहती है, तो उस जानकारी से जुड़ी वेबसाइट पर उस जानकारी को डाला जा सकता है जिसके चलते सरकारों के बीच में कम समय में ज़्यादा

संपर्क हो जाता है। इसी तरह कई अन्य सरकारी विभाग भी आपस में संपर्क करते हैं और जानकारी को साझा करते हैं।

कर्मचारियों के लिए सरकार (G2E)

- इसमें बातचीत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है।
- आईसीटी उपकरण इन अंतःक्रियाओं को तेज और कुशल बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाते हैं।
- इसमें में सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकती है। सरकार के किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी को उस विभाग से जुड़ी जानकारी उस विभाग की वेबसाइट के जरिए मुहैया करवायी जाती है।

ई-गवर्नेंस के लाभ

- प्रशासन में कम भ्रष्टाचार
- प्रशासन में बढ़ी पारदर्शिता
- नागरिकों और व्यवसायों को अधिक सुविधा
- लागत में कटौती और राजस्व वृद्धि
- सरकार की सक्षमता में वृद्धि
- सरकारी सेवाओं के वितरण और दक्षता में सुधार
- व्यापार और उद्योग के साथ बेहतर सरकारी संपर्क
- सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण
- सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर योजना और समन्वय
- सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध
- अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन
- प्रशासनिक प्रक्रिया में कागज़ी कार्रवाई और लालफीताशाही में कमी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)

इस योजना को साल 2006 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के जरिए ही भारत सरकार देश की सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए आम नागरिक तक पहुँचाना चाहती है। अभी तक सरकार इस योजना के लक्ष्यों को पाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है। यह योजना भारत



के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है।

मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी)

यह राष्ट्रीय ई-शासन प्लान के तहत शामिल एक योजना है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के एक पहलू पर केंद्रित है। इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर आदि जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इस मिशन मोड प्रोजेक्ट में 31 मिशन शामिल हैं, जिन्हें राज्य, केंद्रीय और एकीकृत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

राज्यों में ई-गवर्नेंस

राज्य सरकारों ने भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी सरकारी कामों को ऑनलाइन से जोड़ने का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके अलावा, हर राज्य अपने राज्य के हिसाब से किन्हीं भी पांच चीजों को मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के अंतर्गत जोड़ सकता है। वहीं राज्यों के एमएमपी को रखा गया है

वाणिज्यिक कर, ई-ज़िला, रोज़गार एक्सचेंज, भूमि अभिलेख, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पुलिस, सड़क परिवहन और कोषागार आदि। इसके लिए हर राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसकी मदद से वहां के निवासी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। भारत का लगभग हर राज्य अपनी सरकारी बसों के लिए ऑनलाइन सुविधा लोगों को मुहैया करवा रहा है। इससे लोग ऑनलाइन अपने राज्यों की बसों की टिकट बुक करवा सकते हैं।

केंद्रीय सरकार के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर, बीमा, पासपोर्ट, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण और ट्रेडिंग, पेंशन, आधार कार्ड जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार इसमें से सुविधाओं को ऑनलाइन ले आई है। वहीं एकीकृत (इंटीग्रेटेड एमएमपीएस) के अंतर्गत ई-कोर्ट, ई-प्रोक्वोरमेंट, ई-ट्रेड के लिए ईडीआई, भारत पोर्टल को रखा गया है।



घर-घर ई-गवर्नेस को पहुँचाने का प्रयास

ई-गवर्नेस की बदौलत आप आज के दौर में बिजली का बिल भरने से लेकर किसी भी सरकारी योजना का लाभ आसानी से घर पर बैठकर उठा सकते हैं। भारत सरकार ने ई-गवर्नेस को धीरे-धीरे हर जगह पर लागू कर दिया है जिसके चलते ज्यादातर कामों को देश के नागरिक आसानी से अपना समय बचाते हुए घर से करवा सकते हैं। भारत सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी आम जनता के लिए अपनी सारी सुविधाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा रही हैं जिससे आने वाले समय में अधिकतर सरकारी कामों को आप इंटरनेट की मदद से कर सकेंगे।

ई-गवर्नेस के तहत कुछ प्रमुख सुविधाएं

- **पैन कार्ड बनवाने की सुविधा**— आज हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी हो गया है। ऐसे में ई-गवर्नेस की मदद से आप ऑनलाइन इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **आयकर रिटर्न फाइलिंग**— ई-गवर्नेस के माध्यम से आसानी से आप अपना आयकर भुगतान कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने इस सेवा को भी ऑनलाइन से जोड़ दिया है जिससे आप कुछ ही देर में अपना आयकर भर सकते हैं।
- **कोई भी प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा**— ई-गवर्नेस के माध्यम से आप घर पर बैठे कोई भी प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आय, जाति, निवास जैसे प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है।
- **ऑनलाइन शिकायत की सुविधा**— आपको अगर किसी सरकारी दफ्तर में शिकायत दर्ज करवानी हो तो आप आसानी से घर से ऑनलाइन कर सकते हैं।
- **पासपोर्ट बनवाने की सुविधा**— पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपने शहर के पासपोर्ट के दफ्तर में जाकर इससे जुड़ा फॉर्म लेना होता था। मगर अब आपको ये सुविधा ऑनलाइन सरकार द्वारा मुहैया करा दी गई है। हालांकि आगे की प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट कार्यालय जाना ज़रूरी है।
- **रेल और बस टिकट बुकिंग**— आपको पहले टिकट बुकिंग के लिए घंटों रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने सरकारी बसों से लेकर रेलवे टिकट की बुक करवाने के लिए वेबसाइट बना दी है। जहां पर आसानी से आप कभी-भी ऑनलाइन पैसे देकर कोई भी टिकट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप किसी भी हवाई जहाज टिकट को भी ऑनलाइन ले सकते हैं।
- **सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की सुविधा**— सरकार द्वारा निकाली जाने वाली लगभग सारी सरकारी नौकरियों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। ऐसा करने से आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकते हैं।
- **आधार कार्ड की सुविधा**— अपने आधार कार्ड की पूरी

जानकारी आप बिना सरकारी कार्यालय जाए इंटरनेट की सुविधा से ही जान सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस आपको इसकी वेबसाइट के बारे में पता होने की ज़रूरत है। वहीं इसकी वेबसाइट पर जाकर आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

- **ऑनलाइन वोटर कार्ड सुविधा**— आप अपने वोटर कार्ड के बारे में भी ऑनलाइन जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बस इससे जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा जहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
- **दाखिले हेतु फार्म भरने की सुविधा**— पहले छात्रों को सरकारी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए उस विद्यालय जाना होता था और वहां से आवेदन-पत्र लेना होता था। लेकिन अब ज्यादातर विद्यालयों ने अपनी वेबसाइट बना ली है जिस पर जाकर आप आसानी से घर बैठ आवेदन-पत्र भर सकते हैं।
- **ई-गवर्नेस के फायदे अनेक**
 - **लागत में कटौती**— ई-गवर्नेस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्च में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको किसी भी तरह के कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसी तरह, सरकारी दफ्तरों में भी कागज़ों के इस्तेमाल में कटौती आई है जिससे खर्च में काफी कमी आई है।
 - **पर्यावरण अनुकूल**: जितने कम कागज़ का इस्तेमाल होगा, उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए ई-गवर्नेस का एक बड़ा लाभ ये भी है कि ये पर्यावरण अनुकूल है।
 - **तेजी से होते काम**— सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में दो से तीन दिन लग जाते थे, वहीं अब वो काम मिनटों में हो जाता है।
 - **जवाबदेही**— सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में आई पारदर्शिता के चलते सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई है जिससे सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व हो जाता है। ऐसे में कोई भी गलत काम होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों पर भी सही तरह से कार्य करने की ज़िम्मेदारी बन जाती है।
 - **कम्प्यूटर का दायरा बढ़ा**: ई-गवर्नेस के कारण कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ रही है। अब गाँव के लोग भी कम्प्यूटर पर काम करना सीख रहे हैं। ऑनलाइन सारी सुविधा होने के चलते नागरिक और सरकार के बीच अच्छी तरह से संवाद हो सकता है। कोई भी नागरिक अगर सरकार की किसी सेवा से खुश नहीं है, तो वो


अपना फीडबैक सरकार को ऑनलाइन की मदद से दे सकता है। इतना ही नहीं, फीडबैक के कारण लोगों की समस्याओं के बारे में सरकार को भी पता केवल चंद समय में लग जाता है।

- **हिंदी भाषा में भी वेबसाइट:** ई-गवर्नेंस के अंतर्गत जो वेबसाइट या फोन पर ऐप बनाए गए हैं, वो हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध हैं ताकि जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है वो हिंदी भाषा में इस वेबसाइट को पढ़ सकें। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी भी हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं होती। धीरे-धीरे ये सुविधाएं स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध करवाने हेतु काम हो रहा है।

- **पारदर्शिता बढ़ी और काली कमाई पर शिकंजा कसा-** ऑनलाइन काम होने से पारदर्शिता बढ़ी है। अब कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता। चूंकि हर सरकारी कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, ऐसे में कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी ले सकता है।

चुनौतियां

- **शिक्षा की कमी-** हमारे देश की ज्यादातर आबादी शिक्षित नहीं है, जिसके चलते वो ई-गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा पा रही है। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता है। ऐसे में उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **जानकारी का अभाव-** गाँवों के लोगों को अभी तक ई-गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं।
- **इंटरनेट की सुविधा न होना-** अभी तक हमारे देश में ऐसे कई गाँव हैं, जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पायी है। ऐसे में ई-गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना अभी लक्ष्य से दूर है।
- **इंटरनेट का सुरक्षित ना होना-** इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित ज़रिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में खतरा हमेशा रहता है कि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी का फायदा कोई भी उठा सकता है।
- **लागत ज्यादा-** ई-गवर्नेंस हेतु किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं और इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में, ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव अभी बना हुआ है।
- **गोपनीयता और सुरक्षा-** डेटा लीक होने के मामलों ने ई-गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसलिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक और



प्रोटोकॉल होने चाहिए।

- **डिजिटल डिवाइड-** ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले और इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या के मध्य बहुत अधिक अंतराल है। डिजिटल विभाजन जनसंख्या के अमीर-गरीब, पुरुष-महिला, शहरी-ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई-गवर्नेंस के लाभों का समान रूप से नागरिक लाभ उठा सकेंगे।

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस सेवाएं भारत में गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस उपायों की सफलता काफी हद तक डिजिटल साक्षरता और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और निकट भविष्य में 5-जी तकनीक का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस पहल जमीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके ही किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात् नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए उचित, व्यवहार्य, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता वाले निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ई-गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की भी एक बड़ी भूमिका है। यह न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों के सृजन में भी मदद करता है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

ई- माध्यमों से सुगम हुआ लाभ हस्तांतरण

— प्रभात किशोर, अरुण कुमार

डीबीटी एक तीव्र निपटान और लेनदेन तकनीक है जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के वितरण के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को कम करके प्रभावशीलता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक संसाधनों के शोषण को कम कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मददगार साबित हुई है। डीबीटी को लागू करने एवं बढ़ावा देने से लाभार्थी चयन और लाभ वितरण के लिए एक सरल और पारदर्शी तंत्र शुरू हुआ। नई प्रणाली 'डीबीटी' से गैर-पात्र लाभार्थियों का सफाया करके पुरानी प्रणाली में व्याप्त धोखाधड़ी प्रथाओं की समाप्ति संभव हो पाई है।

गत वर्षों में, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-गवर्नेंस युग में प्रवेश करने के लिए बड़ी पहल की गई हैं। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने और उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारत में ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण से लेकर एम गवर्नेंस यानी मोबाइल गवर्नेंस तक तेजी से विकसित हुआ है, जो शासन के बेहतर बिंदुओं को समाहित करते हैं, जैसे कि नागरिक केंद्रितता, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता।

ई-गवर्नेंस ने देश की प्रगतिशील रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के विभिन्न अंगों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन को गति देने के लिए इस धारणा का पर्याप्त संज्ञान लिया गया है। इस दृष्टिकोण से मूल और सहायक बुनियादी ढांचे को साझा करने, मानकों के माध्यम से अंतर-संचालन को सक्षम करने और नागरिकों को सरकार के बारे में एक सहज दृष्टिकोण प्रस्तुत करने एवं सरकार के कुशल और पारदर्शी कामकाज में मदद मिलती है।


सब्सिडी किसी आर्थिक या सामाजिक नीति को बढ़ाने के लिए दी गई वित्तीय सहायता होती है। इससे आर्थिक असमानता के स्तर को कम करने व नागरिकों के हितों की रक्षा करने में आसानी रहती है। पूर्व से ही भारत की केंद्र और राज्य सरकारें, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं पर अपने वार्षिक बजट की महत्वपूर्ण राशि आवंटित करती रही हैं। बजट वर्ष 2022-23 में, केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री, उर्वरक, ईंधन गैस इत्यादि पर 2004612 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए।

सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करती है। किन्तु इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन और लक्ष्यीकरण व सुगम

कार्यान्वयन में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। नवीन, मजबूत एवं सरल प्रौद्योगिकियों व किसानों की जागरूकता से पात्र लाभार्थियों को समय पर जोड़ने और अयोग्य लाभार्थियों को बाहर निकालने तथा प्रत्यक्ष एवं पारदर्शी लाभ वितरण प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। सूचना/निधियों के सरल और तेज प्रवाह के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से और लाभार्थियों के सटीक लक्ष्य को सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अहम भूमिका निभाता है।

डीबीटी प्रणाली

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यानी लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में सीधे सब्सिडी वितरित करने के उद्देश्य से एक रूपांतरित तंत्र की शुरुआत 1 जनवरी, 2013 को की गई। इस सुविकसित प्रणाली का उद्देश्य मुख्यतः सरकारी लाभ वितरण प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाना है। वर्तमान में, इसके अंतर्गत देश भर के कैबिनेट सचिवालयों, मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं जिनके लाभ व सब्सिडी का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।



प्रभात किशोर, भा.कृ.अनु.प.— राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिक हैं। ई-मेल: kishore.prabhat89@gmail.com
अरुण कुमार, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल: chauhanarunicar@gmail.com

डीबीटी हस्तांतरण (वर्ष 2022-23)

स्कीम का नाम	कुल डीबीटी (रुपये में)	कुल लेन-देन (रुपये में)
पहल	55,81,75,16,428	75,91,51,512
मनरेगा	3,60,71,26,12,855	24,06,46,695
एनएसएपी	20,89,47,69,700	7,32,17,222
छात्रवृत्ति	53,18,83,85,268	43,08,994
पीएमएवाई-जी	3,08,92,62,25,791	84,40,639
पीडीएस	10,04,06,02,77,597	1,59,48,10,216
उर्वरक	7,89,18,89,36,662	5,02,42,691
अन्य	7,48,19,72,45,879	70,04,68,411
कुल भुगतान	33,40,98,59,70,182	3,43,12,86,380

स्रोत: bdtbharat.gov.in

डीबीटी का कार्यान्वयन केंद्रीय योजना नियंत्रण प्रणाली (सीपीएसएमएस), लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जाता है। सीपीएसएमएस प्रणाली लाभार्थी सूची तैयार करने, डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और आधार भुगतान ब्रिज का उपयोग करके लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है।

आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी)

आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) प्रणाली, एनपीसीआई द्वारा लागू की गई अनूठी भुगतान प्रणालियों में से एक है, जो सरकारी लाभ और सब्सिडी को लक्षित लाभार्थियों के आधार सक्षम बैंक खातों (ईबीए) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए एक सेंट्रल कोड के रूप में आधार संख्या का उपयोग करती है। एनपीसीआई फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए आधार मैपर बनाता है। यह मैपर आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) की रीढ़ है जहां आधार संख्या के साथ जुड़े बैंकों से संबंधित जानकारी मैपर में रखी जाती है जिसके आधार पर एनपीसीआई प्राप्तकर्ता बैंक को भुगतान करता है और डीबीटी लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है।

ई-रूपी

सरकार 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान एवं निर्णय लेने और कार्यान्वयन में जन प्रतिभागिता और व्यक्तिपरकता लाती है। डिजिटल भारत पहल जैसे जीएसटी, वर्चुअल ई-मूल्यांकन, सरकारी ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, डिजिटल लॉकर, भुगतान ऐप BHIM, ई-मंडी, स्टार्टअप इकोसिस्टम, फास्टैग और अब ई-रूपी के माध्यम से विकास को नई दिशा दी जा रही है।

ई-रूपी वाउचर निधि का हस्तांतरण नया साधन है जिसमें सरकार एक वाउचर जारी करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि फंड का उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग / बचत और जमा खाते, भेजी गई रकम, जमा, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य सस्ती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। वित्तीय समावेशन के इस राष्ट्रीय मिशन ने 28 अगस्त, 2022 को अपने सफल कार्यान्वयन के आठ साल पूरे किए। पीएमजेडीवाई की शुरुआत से लेकर अब तक 46.25 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते खुले और उसमें 1,73,954 करोड़ रुपये जमा हुए। पीएमजेडीवाई खाते मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 10 अगस्त 2022 तक 46.25 करोड़ हो गए। इनमें 56 फीसदी जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 67 फीसदी जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 31.94 करोड़ रुपये कार्ड जारी किए गए। जून 2022 में लगभग 5.4 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को उनका डीबीटी समय पर प्राप्त हो, विभाग डीबीटी मिशन, एनपीसीआई, बैंकों और कई अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर डीबीटी की राह में आनेवाली अड़चनों के टाले जा सकने वाले कारणों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। बैंकों और एनपीसीआई के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में सटीक निगरानी से डीबीटी से संबंधित कुल समस्याओं में टाले जा सकने वाले कारणों से आने वाली अड़चनों का हिस्सा 13.5 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2019-20) से घटकर 9.7 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2021-22) रह गया है।

जाएगा। यह प्री-पेड गिफ्ट-वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे सेवा केंद्रों पर रिडीम किया जा सकता है, और यह सेवा के प्रायोजक, लाभार्थी और सेवा प्रदाता की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। इसका उपयोग कॉरपोरेट्स द्वारा सीएसआर गतिविधियों, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दान और तीसरे पक्ष के समर्थन के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

डीबीटी एक नज़र 2022-23

वर्तमान में देश में कुल 56 मंत्रालयों द्वारा 315 सरकारी योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत कार्यान्वित हैं, जिनमें से लगभग 86 प्रतिशत को नकद और शेष को भुगतान के अन्य प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कुल संवितरित राशि में से, 2/3 से अधिक नकद कोषों के माध्यम में रखा गया है। नकद भुगतान में, देश में ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देने वाले कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत सर्वाधिक निधि हस्तांतरण हुआ है। इसके बाद, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सर्वाधिक राशि का डीबीटी द्वारा वितरण हुआ है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस, उर्वरक योजना, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी हेतु कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (PAHAL) के अंतर्गत सर्वाधिक पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत एवं सूचीबद्ध किया गया।

विभिन्न राज्यों में डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन में 9 प्रमुख मापदंडों को प्रयोग में लिया गया है जिनमें प्रति व्यक्ति डीबीटी राशि, बचत, डेटा रिपोर्टिंग, आधार अनिवार्यता, पोर्टल अनुपालन और प्रत्येक राज्य का समग्र सामान्यीकृत स्तर सम्मिलित है। सामान्यीकृत स्तर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। प्रति व्यक्ति डीबीटी राशि के लिए सामान्यीकृत स्कोर राजस्थान राज्य के लिए उच्चतम रहा है जिसके बाद त्रिपुरा का स्थान है। डीबीटी योजनाओं के समग्र प्रदर्शन में, उत्तर प्रदेश को सामान्यीकृत औसत स्कोर (88.8) के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसके बाद हरियाणा 85.2 स्कोर के साथ बेहतर स्थिति में रहा। डीबीटी प्रति व्यक्ति संकेतक पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य राजस्थान ने डेटा रिपोर्टिंग और बचत संकेतक पर न्यूनतम प्रदर्शन के कारण 57.5 का सामान्यीकृत स्कोर प्राप्त किया। अधिकांश दक्षिणी राज्यों का सामान्यीकृत स्कोर 30 से 60 के बीच रहा जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय वर्गीय राज्यों जैसे बिहार ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया।

योजनाओं को सफल बनाने में वरदान साबित हुआ डीबीटी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)

(एक अध्ययन): किसान समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिसंबर, 2018 में पीएम-किसान (प्रधानमंत्री

तालिका 1. पीएम-किसान योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु राज्यों की रैंकिंग

राज्य	भुगतान प्रतिशत	कुल पंजीकृत किसानों का प्रतिशत हिस्सा	स्तर
हरियाणा	98.64	1.67	1
महाराष्ट्र	97.32	9.78	2
जम्मू और कश्मीर	96.13	1.03	3
हिमाचल प्रदेश	96.03	0.81	4
अरुणाचल प्रदेश	95.75	0.08	5
उत्तराखंड	95.26	0.78	6
नगालैंड	95.18	0.18	7
केरल	94.81	3.18	8
बिहार	94.40	6.97	9
मेघालय	93.94	0.16	10
तेलंगाना	93.65	3.37	11
राजस्थान	93.31	6.59	12
कर्नाटक	93.00	4.85	13
त्रिपुरा	91.72	0.20	14
गुजरात	89.85	5.38	15
तमिलनाडु	88.54	4.17	16
उत्तर प्रदेश	85.49	23.80	17
छत्तीसगढ़	82.68	3.00	18
पंजाब	82.41	2.04	19
आंध्र प्रदेश	81.18	4.98	20
मध्य प्रदेश	78.81	7.54	21
मिज़ोरम	75.96	0.16	22
झारखंड	75.02	2.61	23
मणिपुर	66.69	0.51	24
ओडिशा	57.86	3.47	25
असम	34.87	2.68	26

नोट: पश्चिम बंगाल राज्य के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: पीएम-किसान पोर्टल <https://pmkisan.gov.in/>


किसान सम्मान निधि) योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक लघु किसान को तथा बाद में कवर किए गए सीमांत और छोटे किसानों के लिए तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये वार्षिक वितरण का प्रावधान किया गया। लागत के कुछ हिस्से को पूरा करने के लिए लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। राज्य सरकार लाभार्थी किसानों की पहचान कर पात्रता सूची केंद्र सरकार को सौंपने के लिए जिम्मेदार है। योजना की शुरुआत

के बाद पीएम-किसान वेब पोर्टल पर कुल लगभग 11.7 करोड़ किसानों का सफल पंजीकरण हुआ, जिनमें से 86 प्रतिशत कृषक योजना से लाभान्वित हुए। हाल ही में (अक्टूबर 2022), सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपये की सहायता की 12वीं किस्त भी जारी कर दी है।

ऐसे किसान जो पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, योजना के अनुसार लाभ प्राप्त करते हैं। वर्ष 2020-21 की तीनों किस्तों के आंकड़ों के आधार पर, राज्यों में पंजीकृत किसानों को किए गए भुगतान हिस्से के अनुसार स्थान को तालिका-1 में दिया गया है। हरियाणा राज्य ने कुल पंजीकृत किसानों का लगभग 99 प्रतिशत भुगतान किया जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। लाभ के लिए पंजीकृत किसानों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश (जो देश के कुल पंजीकृत किसानों का 24 प्रतिशत है) में सर्वाधिक रही। हालांकि, इनमें से लगभग 85.49 प्रतिशत किसानों को लाभ मिल चुका है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कुल पंजीकृत किसानों में से 86 प्रतिशत किसानों को लाभ मिला। इन राज्यों के विपरीत में सूचीबद्ध राज्य के लगभग 82 प्रतिशत किसानों को राष्ट्रीय औसत 86 प्रतिशत से अधिक भुगतान सफलतापूर्वक हुआ है।

छात्रवृत्ति योजनाएं

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों-बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं देश भर में लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत कुल 30 लाख प्री-मैट्रिक, 5 लाख पोस्ट मैट्रिक और 60,000 मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष



स्रोत: bdtbharat.gov.in

*सीएस/सीएसएस योजनाओं के केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया राज्यवार डाटा

रिन्डुअल स्कॉलरशिप के अलावा 'फ्रेश' स्कॉलरशिप के रूप में वितरित करने का लक्ष्य है। तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा

तालिका-2 छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक आवंटित एवं जारी बजट

(₹ करोड़ में)

योजना वर्ष	प्री-मैट्रिक		पोस्ट मैट्रिक		मेरिट-कम-मीन्स	
	जारी बजट	आवंटित राशि	जारी बजट	आवंटित राशि	जारी बजट	आवंटित राशि
2016-17	931	585.94	550	287.11	335	220.54
2017-18	950	1108.13	550	479.72	393.54	388.79
2018-19	980	1176.19	692	354.89	522	261.17
2019-20	1220.3	1324.84	496.01	428.77	366.43	285.63
2020-21	1330	1325.54	535	512.81	400	396.34
2021-22*	1378	474.52*	468	80.58*	325	134.09*
कुल	6789.3	5995.16	3291.01	2143.88	2341.97	1686.56

*31.01.2022 तक कुल व्यय

*2020-21 के लिए छात्रवृत्ति का वितरण 2021-22 में जारी है।

स्रोत: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

है और दक्षता में सुधार करने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) माध्यम से वितरित किया जा रहा है। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक आवंटित एवं जारी बजट का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

1 जनवरी, 2017 से, मातृत्व लाभ कार्यक्रम पीएमएमवीवाई योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार देश के सभी जिलों में लागू किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और नवजात शिशुओं के बीच संतुलित पोषण बनाए रखने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत डीबीटी माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक/ड्राकघर बचत खातों में ₹ 5000/- नकद प्रदान करती है।

कोविड-19 के दौरान डीबीटी

कोविड-19 महामारी के प्रकोप तथा लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने के साथ, डीबीटी उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में एक वरदान के रूप में

उभरी, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी। जहां एक ओर सभी जरूरी सुविधाएं टप पड़ गईं, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डीबीटी के माध्यम से सरकार की वित्तीय मशीनरी इस प्रतिकूलता के दौरान भी सुचारू रूप से चलती रही।

निष्कर्ष

डीबीटी एक तीव्र निपटान और लेनदेन तकनीक है जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के वितरण के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को कम करके प्रभावशीलता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक संसाधनों के शोषण को कम कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसती है। डीबीटी को लागू करने एवं बढ़ावा देने से लाभार्थी चयन और लाभ वितरण के लिए एक सरल और पारदर्शी तंत्र शुरू हुआ। नई प्रणाली डीबीटी से गैर-पात्र लाभार्थियों का सफाया करके पुरानी प्रणाली में व्याप्त धोखाधड़ी प्रथाओं की समाप्ति संभव हो पाई। लोगों तक सहायता राशि पहुंचाने का यह एक सफल माध्यम साबित हुई है। कृषकों की आय समर्थन करने के उद्देश्य से शीघ्र एवं प्रत्यक्ष भुगतान एक बड़े तत्कालिक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा एवं भविष्य में अन्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। □

जनजातीय गौरव दिवस-15 नवम्बर

‘मेला मोमेंट्स’ फोटोग्राफी प्रतियोगिता

भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय फोटो प्रेमियों के लिए एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता ‘मेला मोमेंट्स’ का आयोजन कर रहा है। इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार किसी भी महोत्सव, त्योहार, मेले के दौरान खींची गई सर्वश्रेष्ठ फोटो जमा कर सकते हैं और नकद पुरस्कार एवं आकर्षक पारितोषिक जीतने का मौका पा सकते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अंतिम एवं मासिक पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार श्रेणी के लिए अंतिम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के होंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार श्रेणी के लिए मासिक पुरस्कार 10,000 रुपये, 7,500 रुपये और 5,000 रुपये के हैं।



इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिए गए लिंक पर उपलब्ध फॉर्म को भरना होगा:

<https://docs.google.com/forms/d/1Tkb-t08neMAb6EOHZGYIM5CfqiHMcDk8hVikPQye-Bs/edit?pli=1>

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जुलाई, 2022 को ‘मन की बात’ के 91वें संस्करण के दौरान विविधता में एकता – ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ – की भावना को बढ़ावा देने में पारम्परिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे देश में मेलों का सांस्कृतिक महत्व भी है। मेले लोगों और दिलों को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समाजों के कई पारम्परिक मेले हैं। इनमें से कुछ मेलों का जुड़ाव जहां जनजातीय संस्कृति से है, वहीं कुछ अन्य मेले जनजातीय इतिहास एवं विरासत के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।



हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोजगार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोजगार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नए ग्राहकों को अब रोजगार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। रोजगार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए <https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।
 नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)
 पता :
 जिला पिन
 ईमेल मोबाइल नं.
 डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

प. सीरीज-1 भारतीय अर्थव्यवस्था 2022	791 330.00
प. सीरीज-2 भूगोल (भारत एवं विश्व)	792 265.00
प. सीरीज-3 भारतीय इतिहास	795 170.00
प. सीरीज-4 भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन	794 245.00
प. सीरीज-5 भारतीय कला एवं संस्कृति	796 155.00
प. सीरीज-6 सामान्य विज्ञान Vol. 1	829 150.00
प. सीरीज-6 सामान्य विज्ञान Vol. 2	830 115.00
प. सीरीज-7 समसामयिक घटनाचक्र 2022 Vol. 3	817 130.00
प. सीरीज-9 वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822 130.00
प. सीरीज-10 बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825 165.00
प. सीरीज-12 भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823 130.00
प. सीरीज-13 खेलकूद	828 245.00
प. सीरीज-14 कृषि विज्ञान	836 180.00
प. सीरीज-15 प्राचीन इतिहास	837 175.00
प. सीरीज-16 मध्यकालीन इतिहास	838 195.00
प. सीरीज-17 आधुनिक इतिहास	839 235.00
प. सीरीज-18 दर्शनशास्त्र	842 110.00
प. सीरीज-19 न्यू रीजनिंग टेस्ट	843 200.00
प. सीरीज-20 हिन्दी भाषा	860 135.00
प. सीरीज-21 संख्यात्मक अभियोग्यता	861 355.00
प. सीरीज-22 राजनीति विज्ञान	866 220.00
प. सीरीज-23 लोक प्रशासन	813 270.00
प. सीरीज-24 वाणिज्य	816 320.00
Series-1 Indian Economy 2022	790 365.00
Series-2 Geography (India & World)	793 355.00
Series-3 Indian History	798 165.00
Series-4 Indian Polity & Governance	797 245.00
Series-6 General Science Vol. 1	814 140.00
Series-6 General Science Vol. 2	818 99.00
Series-7 Current Events Round-up 2022 Vol. 3	808 150.00
Series-12 Indian National Movement & Constitutional Development	812 135.00
Series-15 Indian History-Ancient India	804 175.00
Series-16 Indian History-Medieval India	806 185.00
Series-17 Indian History-Modern India	802 180.00
Series-19 New Reasoning Test	826 260.00
Series-21 Quantitative Aptitude Test	820 295.00
Series-22 Political Science	821 250.00
Series-23 Public Administration	824 220.00
Series-24 Commerce	805 350.00
Series-25 Environment & We	846 215.00

To purchase online log on to www.pdgroup.in

संघ एवं राज्य लोक सेवा
आयोग की परीक्षाओं के साथ-साथ
अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं
के लिए विशेष उपयोगी



Code No. 870
₹ 350.00



Code No. 801
₹ 295.00



Code No. 791
₹ 330.00



Code No. 790
₹ 365.00



Code No. 817
₹ 130.00



Code No. 808
₹ 150.00

Scan the QR Code with
your mobile and open the
link to see the range of
extra issues.

QRD0025



Download FREE QR Scanner app from the app store

प्रतियोगिता दर्पण
आगरा-282 005

Available on :

pdgroup.in

amazon

flipkart